ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अप्रैल 2018

अंक 04

विषय सूची

अप्रैल 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर मंथन
- राष्ट्रीय वन नीति-2018, का मसौदा
- कम होते रोजगार
- वर्तमान में न्यायपालिका के समक्ष संस्थागत चुनौतियाँ
- भारत-नेपाल संबंध का नया दौर
- भारत में सट्टेबाजी व जुआ की वैधता का प्रश्न
- नगरों में बढ़ता ठोस अपशिष्टः एक गंभीर चुनौती

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 22-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 38

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 39

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर मंथन

चर्चा का कारण

हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर के लिए 'नीति फोरम' की पहली बैठक हुई। बैठक में त्रिपुरा, नागालैण्ड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा नीति आयोग और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पूर्वोत्तर के लिए नीति आयोग फोरम ने पांच सूत्रीय विकास मिशन तय किया है।

पृष्ठभूमि

पूर्वोत्तर भारत से आशय भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से है जिसमें एक साथ जुड़े 'सात बहनों' के नाम से प्रसिद्ध राज्य, सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग (दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिले) शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न है। भाषा की दृष्टि से यह क्षेत्र तिब्बती-बर्मी भाषाओं के अधिक प्रचलन के कारण अलग से पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में वह दृढ़ जातीय संस्कृति व्याप्त है जो संस्कृतीकरण के प्रभाव से बची रह गई थी। इसमें विशिष्ट श्रेणी के मान्यता प्राप्त आठ राज्य भी हैं।

इन आठ राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1971 में पूर्वोत्तर परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल/NEC) का गठन एक केंद्रीय संस्था के रूप में किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न डेवेलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (NEDFi) का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) का गठन सितम्बर 2001 में किया गया था।

उत्तर पूर्वीय राज्यों में सिक्किम 1947 में एक भारतीय संरक्षित राज्य और उसके बाद 1975 में एक पूर्ण राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसकी औसत चौड़ाई 21 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र को मुख्य भारतीय भू-भाग से जोड़ता है। इसकी सीमा का 2000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र अन्य देशों: नेपाल, चाइना, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश के साथ लगती है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। निजी निवेश का अभाव है और पूँजी निर्माण का स्तर निम्न है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं तथा भौगोलिक रूप से यह दूसरे क्षेत्रों से कटा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, हाइड्रोपावर क्षमता और वनों का दोहन भी पूरी तरह से नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के अपने कर एकत्रण और आंतरिक संसाधन भी अत्यंत कम है जिसके कारण वे केंद्र सरकार के हस्तांतरणों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। स्थानीय धनाढ्य मैदानी संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं और ऐसे उद्योग लगाने से कतराते हैं जिन्हें जोखिमपूर्ण समझा जाता है। इसलिए इन राज्यों की अवस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से उद्योगों के विकास की गति तीव्र नहीं हो पायी है।

पाँच सूत्रीय विकास मिशन एवं अन्य तथ्य

- नीति फोरम की पहली बैठक में बागवानी, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्रीय विकास मिशन को रेखांकित किया गया।
- इस क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाएँ "एचआईआरए" (HIRA) पर आधारित होंगी जिसका अर्थ है, हाइवेज इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज।
- इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- इस क्षेत्र में उड़ान योजना भी लागू की जा रही है जिसके माध्यम से राज्य की राजधानियाँ जुड़ी रहेंगी।
- बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल लाइन पर भी चर्चा की गई। यह रेल लिंक अगरतला से बांग्लादेश के गंगासागर तक बनाया जा रहा है।

क्या है नीति फोरम?

सरकार ने 20 फरवरी 2018 को 'नीति फोरम फॉर नार्थ ईस्ट का गठन किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार इस फोरम के अध्यक्ष हैं, जबकि केंद्र सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र, विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह इसके सह अध्यक्ष हैं। 35 सदस्यीय इस फोरम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सहित भारत सरकार के 9 विभागों के सचिव और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्य सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर विकास विभाग के सचिव नवीन वर्मा का कहना है कि यह फोरम पूर्वोत्तर विकास परिषद्, नीति आयोग और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करेगा।

फोरम विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज एव सतत विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करेगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास स्थिति का जायजा भी लेगा।

फोरम के सदस्यों में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे।

इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य सचिव भी फोरम के सदस्य होंगे। पूर्वोत्तर परिषद्, शिलांग के सचिव फोरम के सदस्य सचिव होंगे। फोरम में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाएगा।

समूह का क्षेत्राधिकार परिभाषित नहीं किया गया है। यह पूर्वोत्तर में किसी भी विषय पर विचार

कर सकता है। समूह अपने कार्य प्रक्रिया स्वयं तय करेगा और जरूरत पड़ने पर उपसमूह का गठन कर सकेगा। इसके अलावा यह किसी क्षेत्र की यात्रा कर सकेगा या किसी से भी मिल सकेगा।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकारी पहल

केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से पूर्वोत्तर का समानांतर और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। 'पूर्व की ओर देखो' नीति को हकीकत में बदलने पर मौजूदा सरकार के जोर से इस क्षेत्र के लिए उम्मीदें जगी हैं। मेघालय के मेंदीपाथर से असम के गुवाहाटी तक पहली बार ट्रेन चलाने, ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड विद्युत प्लांट की यूनिट-2 की स्थापना, असम में देश का सबसे लंबा यानी 9.15 किलोमीटर का पुल (ढोला-सदिया पुल), आईआईआईटी गुवाहाटी की आधारशिला का रखा जाना आदि ऐतिहासिक पहल से पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार तेज हुई है। पूर्वोत्तर के लिए बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। यह फिलहाल तकरीबन 48,000 करोड़ है।

इस इलाके में आजीविका का मुख्य साधन खेती है। हालांकि, कृषि उत्पादन कम रहने और झूम प्रणाली जैसी पारंपरिक खेती में होने वाली मुश्किलों के कारण इस क्षेत्र में आजीविका की समस्या पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन पर नए सिरे से पहल करने का फैसला किया है और इसके लिए 1,290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे बड़े पैमाने पर बांस उद्योग के विकास की उम्मीद है।

इस क्षेत्र के विकास में यातायात सुविधाओं का अभाव बड़ी बाधा रही है। सड़क और रेल से जुड़ाव की खराब हालत और हवाई संपर्क नहीं के बराबर होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई। लिहाजा, यहां से देश के अन्य हिस्सों तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही मुमकिन नहीं हो पाती है।

सरकार ने अब इस क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटन किया है। इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार वर्षों में 5,886 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया, जबकि 2014-19 के दौरान नई सड़के, पुल आदि में निवेश के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के 50 हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के लिए 1,014 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। इससे न सिर्फ देश के बाकी हिस्सों बल्कि म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी पूर्वोत्तर के संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

इस इलाके में मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए 234 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं की कमी और कौशल विकास की दिक्कत के कारण युवाओं को पढ़ाई के लिए अन्य इलाकों में जाने को मजबूर होना पड़ता था। इसी तरह, रोजगार के अवसरों की कमी ने युवाओं को भी दूसरे क्षेत्रों में पलायन के लिए मजबूर कर दिया था।

रोजगार सृजन मिशन और असम राज्य आजीविका मिशन, मेघालय राज्य कौशल विकास सोसायटी आदि योजनाओं की पहल से पूर्वोत्तर में युवाओं को रोजगार के लिए कौशल हासिल करने का नया ठिकाना मिला है। इससे पलायन को गैर-जरूरी बनाने में मदद मिलेगी।

इस क्षेत्र में लंबे समय से महिलाओं को दबाया जाता रहा है और परिवार और वित्तीय मामलों में उनका कोई दखल नहीं होता। स्वयं सहायता समूह बनाने जैसी पहल से इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है। ऊंचे इलाकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओएमपी) और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूह (एनएआरएमजी) जैसी इकाइयों ने लैंगिक सशक्तीकरण लाने में कारगर औजार के तौर पर काम किया।

पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन का कारण

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा काफी पिछड़ा हुआ है। विकास की रोशनी अभी तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है। इस क्षेत्र की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं:

- **भौगोलिक कारक:** पूर्वोत्तर क्षेत्र का तकरीबन 70% इलाका पहाड़ी है और इसमें लगभग 30% आबादी रहती है तथा शेष 30% इलका समतल है जहाँ 70% आबादी निवास करती है। भौगोलिक कारणों व अविकसित परिवहन व्यवस्था की वजह से शेष भारत के साथ संपर्क हमेशा मुश्किल रहा है। साथ ही असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने की वजह से न सिर्फ असम बल्कि अन्य राज्यों पर भी दबाव पड़ता है।
- **ढाँचागत कारक:** पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों में से एक है- सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा जैसे बुनियादी सुविधाओं आदि की बुरी स्थिति का होना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 13% है। हालांकि खराब रखरखाव के कारण इन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में कमी के प्रमुख संकेतक हैं संकरी सड़कें, बिजली की खराब स्थिति, पेयजल की कमी आदि।
- **प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन:** मिट्टी, पानी, वनस्पति और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना होने के बावजूद देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अविकसित है क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध रूप से दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी संपत्ति नष्ट हो रही है जो आमतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विकास और संवृद्धि के लिए सबसे बड़ी क्षमता को ट्रिगर करने हेतु रेखांकित की जाती है।
- **गरीबी और बेरोजगारी:** आजादी के सात दशक बाद भी पूर्वोत्तर में गरीबी और बेरोजगारी व्यापक रूप में व्याप्त है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि के परंपरागत तरीकों पर निर्भर है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ही यहाँ के युवा असामाजिक तत्वों के चुंगल में फंसकर हिंसक तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। सरकारी प्रयास के बावजूद भी पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है।
- **भ्रष्टाचार:** पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाना है। प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि का अधिकांश हिस्सा अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा गबन हो जाता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएँ तो काफी बनाई गई किंतु इनका क्रियान्वयन केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया। व्यावहारिक रूप में ये योजनाएँ पूरी तरह सफल नहीं रहीं, जिसके मूल में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना है।
- **उग्रवाद की समस्या:** पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में कोई भी राज्य इस समस्या से अछूता नहीं रहा है। इन तमाम राज्यों में समस्या की मूल वजह यह है कि यहाँ लोग आजादी के इतने वर्षों के बाद भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते। इन लोगों को लगता है कि भारत में उनका जबरन विलय किया गया है। इसलिए देश के दूसरे राज्यों से जाने वालों को खासकर मणिपुर व नागालैण्ड जैसे

राज्यों में अभी भी हिंदुस्तानी कहा जाता है। सरकार विकास नहीं होने के लिए उग्रवाद को जिम्मेदार ठहराती है और उग्रवादी सरकार को। पर्यवेक्षकों का कहना है कि उग्रवाद इस इलाके में आजीविका का प्रमुख साधन बन गया है। इलाके में कोई भी नहीं चाहता कि उग्रवाद की यह समस्या सिरे से खत्म हो जाए। उग्रवादी संगठनों से लेकर नेता सब इस समस्या का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। विकास की गति मंद होती जा रही है।

आगे की राह

हमें देश में विकास की भिन्न-भिन्न दरों के बीच अंतराल को आने वाले दशक में समाप्त करना होगा। पूर्वोत्तर में ऐसा करने के लिए प्रशासन और उनके कामकाज में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। चूंकि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के संस्थानों और व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी प्रयोग कर सकें- यही विकास के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। इसे काबू में करने के लिए देश के प्रत्येक भाग से पूर्वोत्तर में सरकार के सभी स्तरों पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। संस्थागत निर्माण राज्य सरकार के विभागों एवं एजेंसियों को मजबूत करने और नागरिक एवं राज्य सरकारों के बीच फलदायी सहभागिता का आह्वान करता है। स्थानीय स्वशासन से जुड़े संस्थानों को मजबूत करना खास तौर से महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार ध्यान केंद्रित कर सकती है।

निर्धारित लक्ष्यों, स्पष्ट परिणामों, रणनीतियों और क्षेत्र के लिए समन्वित योजना के साथ पूर्वोत्तर को तेजी से आत्मनिर्भर बनाना होगा ताकि यह देश के खजाने और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से योगदान करे। इस प्रक्रिया को शुरू करना एक अनिवार्यता है। सुशासन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जबावदेही की मांग करता है। यह नैतिकता और प्रशासनिक प्रणाली, दोनों का मामला है। ऐसा हस्तांतरण, जिसकी सामाजिक स्तर पर समीक्षा की जाए, जमीनी स्तर पर निरीक्षण और सतर्कता को मजबूती देगा। इससे प्रशासन के उच्च स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह क्षमता निर्माण और संस्था-निर्माण, दोनों महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

■

2. राष्ट्रीय वन नीति-2018, का मसौदा

हाल ही में पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय वन नीति-2018 जारी किया है तथा लोगों से उनकी राय मांगी है। देश में करीब 30 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति में बदलाव किए जाने की तैयारी है। नए ड्राफ्ट में क्लाइमेट चेंज, ग्रीन कवर में कमी और आबादी के क्षेत्र में जंगली पशुओं के घुस आने जैसी नई उभरती समस्याओं को भी शामिल किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 2018" का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें स्थायी वन प्रबंधन के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का समाधान पेश किया गया है। नई नीति के तहत वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए देश में एक-तिहाई भू-भाग को वनाच्छादित करने और उसकी रक्षा के लिए कड़े नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा। यह नई नीति 1988 की वन नीति की जगह लेगी। नई नीति में पर्यावरण संतुलन और स्थिरता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को भी कवर किया जाएगा। इस नई नीति में वनों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को भी लागू करने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट के मुताबिक, 'वनों के संरक्षण और उनमें वृद्धि के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को लागू किया जाएगा। यह नीति वन निगमों के क्षेत्र और उनके दायरे से बाहर भी लागू होगी।'

क्या है मसौदा वन नीति-2018?

इस नयी नीति में दीर्घकालिक वन और वन्य प्राणी प्रबंधन को और मजबूत किया जायेगा साथ ही पारिस्थितिकी को बचाने के साथ-साथ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नई नीति के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:

- नयी नीति में वनों को बचाने पर जोर दिया गया है।
- वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने का उपाय किया गया है।
- वनों तथा वनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- वनों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ बायो डॉयवर्सिटी संरक्षण की भी योजना है।
- बिना वर्किंग प्लान के वनों के प्रबंधन का काम नहीं होगा।
- वन प्रबंधन संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी भी वन नीति में शामिल की जाएगी।
- वनों का आर्थिक आकलन भी किया जाएगा।
- नई नीति में राष्ट्रीय स्तर पर "पर्यावरण प्रबंधन सूचना प्रणाली" विकसित किया जाएगा।
- नई नीति में अनुसंधान और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास को भी शामिल किया जाएगा।
- नई नीति में पूर्वोत्तर इलाकों के वनों के लिए अलग से प्रबंधन की योजना होगी।
- वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना शामिल है।
- नदियों के जल-भराव क्षेत्रों और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन तकनीकी द्वारा अनाच्छादन तथा मृदा अपरदन की रोकथाम।
- भूमिगत जल-भंडारों के पुन: भरण और सतही जल के विनियमन से जलापूर्ति बढ़ाना ताकि वनों की मृदा और वनों की सेहत अच्छी बनी रहे।
- वन-रोपड़ तथाा पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना आदि।

पृष्ठभूमि

भारतीय वानिकी का पिता 'डेट्रिच ब्रैंडिस' को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1894 में प्रकाशित की गई।

औपनिवेशिक भारत में बनी इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति था न कि वनों का संरक्षण।

स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली वन नीति 1952 में जारी की गई जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग को वनाच्छादित किया जाएगा लेकिन 1952 से 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेअर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेअर हो गया। कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में 242 लाख हेक्टेअर की यह वृद्धि ग्रामीण अंचल में स्थित वनाच्छादित भूमि वृक्षों की कटाई करके प्राप्त की गई थी।

वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में 36 साल बाद संशोधन किया गया। संशोधित वन नीति, 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इस नीति के मुख्य लक्ष्य है:

- पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापना द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को कायम रखना तथा प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना था।
- नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वन और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना।
- ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी-मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनोत्पादों में वृद्धि।
- वन संरक्षण हेतु जन-सहभागिता में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाना।

नये मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों?

इस नये मसौदा वन नीति की आवश्यकता को समझने से पहले भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2018 को समझना होगा।

केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 फरवरी, 2018 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ऐसा तब हुआ है जबकि 9 देशों में जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर है और भारत में यह अनुपात 382 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर है। भारत के भू-भाग का 24.4 प्रतिशत हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है। वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2015 की तुलना में 8021 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई, इसमें 6,778 वर्ग कि.मी. की वृद्धि वन क्षेत्रों में हुई है, जबकि वृक्षावरण क्षेत्र में 1243 वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्ज की गई है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों और वृक्षावरण क्षेत्र का हिस्सा 24.39 प्रतिशत है। इसमें सबसे उत्साहजनक संकेत घने वनों को बढ़ना है, घने वनों का क्षेत्र बढ़ने से खुले वनों का क्षेत्र भी बढ़ा है।

रिपोर्ट के ताजा आंकलन के अनुसार देश के 15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत भू-भाग वनों से घिरा है। इनमें से 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे मिजोरम, लक्ष्यद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय और मणिपुर का 75 प्रतिशत से अधिक भू-भाग वनाच्छादित है जबकि 8 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों-त्रिपुरा, गोवा सिक्किम, केरल, उत्तराखण्ड, दादरा तथा नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम का 33 से 75 प्रतिशत के बीच का भू-भाग वनों से घिरा है। देश का 40 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र 10 हजार वर्ग कि.मी या इससे अधिक के 9 बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सराहनीय है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि भारत में वन से संबंधित नीति 1952 में बनायी गई थी तथा यह निर्धारित किया गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वनावरण/वृक्षावरण किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य से इस नीति के लगभग 68 साल बाद भी वनावरण मात्र 24% ही हुआ है। साथ ही इससे संबंधित कानून भी मात्र दो ही बन पाये हैं। भारत वन रिपोर्ट, 2017 के अनुसार भारत में कुल वनावरण में 1 प्रतिशत की वृद्धि होना मानों "ऊंट के मुँह में जीरा" वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

भारत में लगभग 15 राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण तथा वृक्षावरण 33% से कम हैं साथ ही वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार निम्न राज्यों में वनावरण क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है जैसे-मिजोरम (531 वर्ग कि.मी.), नागालैण्ड (450 वर्ग कि.मी.), अरूणाचल प्रदेश (190 वर्ग कि.मी.), त्रिपुरा (164 वर्ग कि.मी.), मेघालय (116 वर्ग कि.मी.)।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 24,0928 वर्ग कि.मी है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.33 प्रतिशत है। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब में वनावरण/वृक्षावरण 10% से कम है। ऐसे समय में नई वन नीति की आवश्यकता है। इसलिए सरकार मसौदा राष्ट्रीय वन नीति 2018, लेकर आयी है तथा लोगों से इस पर अपनी राय मांगी है।

चुनौतियाँ

- वन विकास निगमों को वन संरक्षण हेतु संस्थागत वाहन बनाया गया है किंतु, एक नए नव उदारवादी मोड़ के तहत ये संस्थागतन वाहन सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा वन भूमि पर कॉर्पोरेट निवेश लाने का प्रयास करेंगे।
- मसौदा नीति ग्राम सभाओं और जेएफएम समितियों के बीच "तालमेल सुनिश्चित करने" की बात करता है, जबकि जेएफएम समितियों को संवैधानिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है और औपनिवेशिक युग के भारतीय वन अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है।
- नई मसौदा नीति के प्रावधान काफी अस्पष्ट और उलझाऊ हैं। इस नीति में उत्पादन वानिकी को मुख्य क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।
- यदि स्थानीय समुदायों को वन शासन में भागीदारी का मौका नहीं दिया जाए तो वे इस उत्पादन वानिकी मॉडल को चुनौती देंगे। अत: मसौदा नीति में विकेंद्रीकृत शासन के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है और 'सामुदायिक भागीदारी' शब्द का बेहद हल्के रूप में प्रयोग किया गया है।
- अतीत में उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक वनों को पाइन मोनोकल्चर से, मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को सागौन पौधों से और पश्चिमी घाटों में आर्द्र सदाबहार वनों को यूकेलिप्टस और एकेसिया से प्रतिस्थापित कर दिया। इन सब कारणों ने विविधता को नष्ट कर दिया है, जलधाराओं को सुखा दिया और स्थानीय आजीविका को दुर्बल बना दिया। सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस तरह के विनाश को और बढ़ावा दे सकती है और वनों से उत्पन्न लाभांश को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में संकेंद्रित कर सकती है।
- प्रस्तावित नीति में पर्यावरण वन और वन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाली जनजातियों के अधिकारों और हितों के संरक्षण की अनदेखी की गयी है।

- जंगलों का निजीकरण कर इनके व्यावसायिक इस्तेमाल की छूट दी गयी है।
- प्रस्तावित नीति में वानिकीकरण क्षतिपूर्ति कोष अधिनियम (सीएएफए) को अभी भी लागू रखा गया है। यह कानून जनजातियों और ग्राम सभाओं के वन और वन्य संपदा के रख रखाव एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों को खत्म करता है।
- सिर्फ कारोबारी गतिविधियों को वन क्षेत्रों में प्रश्रय देने से पर्यावरण की चुनौती बढ़ेगी और सामाजिकि असंतुलन भी बढ़ेगा।

आगे की राह

नये मसौदा नीति में वानिकी उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया हैं इससे न केवल वनों का निजीकरण होगा बल्कि यह मार्केट के रूप में उभरेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निजी कंपनियाँ केवल लाभ कमाना जानती हैं ऐसे में वनों पर आश्रित जनजातियों के हितों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे की सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

- जेएफएम समितियों को संविधानिक रूप से सशक्त ग्रामसभाओं में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही औपनिवेशिक युग की भारतीय वन अधिनियम में सुधार की आवश्यकता है।
- स्थानीय समुदायों को वन शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं तो स्थानीय समुदायों और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा।
- अतीत में उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक को, मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को, पश्चिमी घाटों में आद्र सदाबहार वनों को युकेलिप्टस में प्रतिस्थापित कर संतुलन बिगाड़ दिया था इसलिए नई मसौदा नीति में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जाए।
- माकपा की सदस्य वृन्दाकारात ने राष्ट्रीय वन नीति की खामियों से जुड़ा पत्र मंत्रालय के समक्ष पेश किया और कहा कि मसौदे को सरकार द्वारा वापस ले लेना चाहिए।
- माकपा ने पर्यावरण, वन एवं जनजातियों के संरक्षण के लिए कार्यरत संगठनों और व्यक्तियों की मौजूदगी वाली एक समिति गठित करने का मंत्रालय को सुझाव दिया है। पार्टी ने कहा कि समति की सिफारिशों के आधार पर ही वन अधिकार अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के दायरे में राष्ट्रीय वन नीति का नया मसौदा तैयार किया जाए।
- वन नीति का मकसद वन और वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए देश की समृद्ध जैवविविधता के संरक्षण में इन समुदायों की भूमिका को भी मान्यता प्रदान करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3
संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

3. कम होते रोजगार

सन्दर्भ

सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का भरोसा दिया था। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को केंद्र की सत्ता सौंपने में देश की 55 फीसदी आबादी का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले तीन साल में इस दिशा में अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी है। हालांकि युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी कई योजनाएं और नीतियां घोषित की, जिनसे रोजगार सृजन के उपाय बढ़े। जैसे- मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उस्ताद एवं सीखो और कमाओ ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आज लाखों युवा रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अक्टूबर 2017 तक देश में सिर्फ 8 लाख 23 हजार नौकरियां ही सृजित हुई हैं। यह चिंता की बात है। ऐसे में चुनावी साल से पहले सरकार ने इस वर्ष के बजट 2018 में भी कुछ खास उपाय रोजगार सृजन के लिए नहीं किया है जिसके चलते रोजगार के लिए देश के युवा आज भी भटक रहे हैं।

पृष्ठभूमि

बड़ी संख्या में उपलब्ध रोजगारों का खत्म हो जाना और नई नौकरियों का सृजन नहीं होना दरअसल कमजोर आर्थिक विकास के कारण नहीं बल्कि आर्थिक विकास के बिगड़े हुए पैटर्न के कारण है। एलपीजी सुधारों के बाद से विनिर्माण क्षेत्र नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र है जो बाजार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। विनिर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाना सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। ऐसे में विनिर्माण को प्रोत्साहन दिये बिना सेवा क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वर्ष 1991 में जब आर्थिक सुधारों की पहल आरंभ हुई तो भारत के पास कोई भी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति नहीं थी। और जब 2011 में एक नीति बनाई भी गई तो उसे लागू नहीं किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उल्लेख तो था लेकिन तब तक यूपीए सरकार की तमाम नीतियों को लकवा मार गया था।

अत्यधिक आयात के कारण भारतीय उत्पादन कमजोर हुआ है। एल्युमीनियम, स्टील, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं को पिछले 12-15 वर्षों के दौरान उच्च टैरिफ दरों का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि विनिर्माण क्षेत्र गति हासिल नहीं कर पाया। भारत में लगातार कम होते जा रहे रोजगार के अवसरों ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। अब सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से सोचने लगी है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यह माना कि सूचना तकनीक, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने से ही रोजगार में कमी आई है। वर्ष 2015 में इन क्षेत्रों में 1.35 लाख रोजगारों का सृजन हुआ जबकि 2011 में इन्हीं क्षेत्रों से 9.3 लाख रोजगार पैदा हुए थे। श्रम ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार 2011-12 में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत थी, वह 2015-16 में बढ़कर 5 प्रतिशत पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.8 करोड़ तक पहुंच गई है। हर साल देश की वर्कफोर्स में करीब 1 करोड़ युवा जुड़ रहे हैं और इनके लिए सरकार को नौकरी के अवसर मुहैया कराना बेहद बड़ी चुनौती है। अब साल दर साल नौकरी के ये आंकड़ें देखें तो साफ लगता है कि सरकार के लिए इतने युवाओं को रोजगार मुहैया कराना विशाल चुनौती है।

वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने '2017 में वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण' पर अपनी रिपोर्ट जारी की। संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2017 में बेरोजगारों की संख्या साल 1.77 करोड़ से बढ़कर 1.78 करोड़ होने की आशंका है। वहीं, 2018 में यह संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। जरूरतों के कारण आर्थिक विकास पिछड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसमें पूरे 2017 के दौरान बेरोजगारी बढ़ने तथा सामाजिक असामनता की स्थिति के और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 3.4 फीसदी बनी रहेगी। हालांकि साल 2016 में भारत में अच्छे रोजगार के अवसर बने हैं। पर वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में भारत में रोजगार सृजन की गतिविधियों के गति पकड़ने की संभावना नहीं हैं क्योंकि इस दौरान धीरे-धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी और प्रतिशत के संदर्भ में इसमें गतिहीनता दिखाई देगी।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो सकती है। पिछले दो दशक में भारत में तेजी से आर्थिक विकास हुआ और इस अवधि में 30 करोड़ युवाओं को रोजगार की जरूरत थी, लेकिन इससे आधे से भी कम यानी लगभग 14 करोड़ लोगों को ही इस दौरान रोजगार मिल पाया। ये सीमित रोजगार भी प्रमुखत: रिक्शा चलाने, कृषि मजदूरी या निर्माण क्षेत्र जैसे असंगठित क्षेत्र में मिले। ऐसे हालात तब थे जब अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हो रहा था। वर्तमान में आर्थिक विकास दर घट रही है, इसलिये रोजगार कम ही उत्पन्न होंगे। वर्तमान तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर तीन वर्ष के न्यूनतम स्तर 5.7% पर रही।

रोजगार में कमी के कारण

रोजगार सृजित न हो पाने का पहला कारण देश में रोजगार के बारे में कोई सटीक आंकड़ों का ही उपलब्ध न होना है। बेरोजगारी और रोजगार के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे रास्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय द्वारा कराये गए 2011-2012 सर्वे के हैं। अब अगला सर्वे 2018 में होगा जिसका डाटा 2019 में उपलब्ध होगा। अत: यह एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा देश में रोजगार की दशा और दिशा पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो प्रत्येक तिमाही में सर्वे कर आँकड़े जारी करता है। पिछली कई तिमाहियों के इन आँकड़ों के अनुसार देश में रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आ रही है। श्रम ब्यूरो के नवीनतम सर्वे के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 में 1.55 और 2.13 लाख नए रोजगार सृजित हुए जो पिछले आठ साल का सबसे निचला स्तर है। मेक इन इंडिया तथा स्टार्ट अप इंडिया आदि योजनाएं भी अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई हैं। रोजगार मूलक योजना स्किल इंडिया भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी भारत में है और यहाँ के श्रमबल में हर वर्ष लगभग एक करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इस रफ्तार से रोजगार का सृजन नहीं हो पाता। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत के गैर-कृषि क्षेत्र में केवल 38 मिलियन रोजगारों का सृजन हो पाएगा। देश में प्रति 10 लाख इंजीनियरों में से 90 प्रतिशत से अधिक को अच्छी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। कृषि में विकास दर कम होने से इस क्षेत्र से जुड़े रोजगार देश के विकास में सहायक नहीं हो पाते। कृषि कार्यों का यंत्रीकरण होने से भी रोजगार कम हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के मामले में। ग्रामीण महिलाओं का रोजगार प्रतिशत 35 से घटकर 20 रह गया है। साक्षरता दर (2001 में 68% प्रतिशत से 2011 में 74%) और आकांक्षाएं दोनों ही बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद कम उत्पादकता वाले रोजगारों से लोगों के जुड़ने की दर बढ़ रही है। वेतन वृद्धि के कारण भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं। वेतन वृद्धि के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यहाँ से अपने बैकएंड ऑफिस को उन देशों में स्थानांतरित कर चुकी हैं जो तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं। इनके अलावा, उभरते हुए क्षेत्रों की कमी भी बेरोजगारी की प्रमुख वजहों में से एक है। जब किसी क्षेत्र में रोजगार कम होने लगते हैं तो अन्य उभर रहे क्षेत्र लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे उभर रहे क्षेत्रों की भी भारी कमी है जो रोजगार तलाश करने वालों को सहारा दे सकें। विभिन्न राज्यों में छोटे व्यवसायों पर कई प्रकार के विनियामिकीय प्रतिबंध लगे हुए हैं जिनकी वजह से स्वरोजगार करने वालों की संख्या भी कम हुई है।

रोजगार के लिए समाधान

देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए पहला कार्य एक नई रोजगार नीति का बनाए जाना होगा। इससे देश में नौकरी की प्रक्रिया के लिए एक रोडमैप तैयार हो सकेगा। देश में प्रति दिन संगठित क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। ऐसे में रोजगार पॉलिसी से हजारों युवाओं को नौकरी देने का रास्ता आसान हो सकेगा। हालांकि सरकार ने स्किल इंडिया नाम से कार्यक्रम चला रखा है इस संबंध में नीति आयोग भी काम कर रहा है। फिर भी सरकार को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रमों पर और जोर देना चाहिए। ताकि देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो युवा आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें आधुनिक कार्य प्रणाली के हिसाब से तैयार किया जा सके और रोजगार में लाया जा सके।

देश की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था रोजगारों का सृजन कर पाने में असफल रही है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में वित्तीय सेवा, रीयल एस्टेट, पेशेवर सेवा, लोक प्रशासन, रक्षा व सामुदायिक सेवा, व्यापार, होटल और रेस्तरां जैसे क्षेत्रों ने जीडीपी में काफी योगदान दिया है। इनमें से व्यापार, होटल और रेस्तरां के अलावा, शेष सभी क्षेत्र न्यून-श्रम उत्पादकता वाले हैं। रोजगार प्रदान करने में स्थायी हिस्सेदारी रखने वाले कृषि, विनिर्माण और उत्पादन जैसे क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष योगदान नहीं कर पा रहे। सरकार को बड़ी तादाद में रोजगार देने वाले सेक्टर की पहचान करनी चाहिए।

ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो क्षेत्र ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा हो, वहां तक अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की पहुंच बने और उन्हें रोजगार मिले। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े कारोबार सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। इन उद्योगों तक युवाओं की पहुंच भी आसान होती है। सरकार को इन उद्योगों में रोजगार सृजन की प्रक्रिया को और बढ़ाने पर जोर देना होगा।

रोजगार सृजन के लिये पहले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा और इसके लिये जरूरत है मजबूत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की। विदित हो कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाई जा रही है। बीते तीन साल में सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया व स्किल इंडिया जैसी अनेक पहल की है और विदेशी निवेश नीति को बहुत उदार बनाया है। ऐसे में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में उन बातों को शामिल करना होगा जिससे कि व्यापार नीति और विनिर्माण नीति में सामंजस्य बना रहे।

रोजगार सृजन के लिये श्रम आधारित विनिर्माण क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज देना होगा। भारत में कई विनिर्माण क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से श्रम शक्ति के जरिये उत्पादन किया जाता है, जैसे-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग आदि। ज्ञात हो कि परिधान एवं वस्त्र क्षेत्र को लगभग एक साल पहले भारत सरकार से पैकेज प्राप्त हुआ था, जबकि अन्य श्रम बाहुल्य क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमें यह स्थिति बदलनी होगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की देश के कुल विनिर्माण में 45% योगदान है और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40% है किन्तु सरकार के पास इस क्षेत्र के विकास के लिये कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है। अतः केंद्र सरकार को इस दिशा में व्यापक नीतियों का निर्माण करना चाहिये। निर्माण समूहों को शहरी विकास से जोड़ना भी अहम् साबित हो सकता है।

शिक्षित महिलाओं को रोजगार देने के लिये चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार करना होगा। यह देखा गया है कि कौशल प्राप्त महिलाएँ भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाती। इसका कारण है उत्पादन केन्द्रों तक उनकी सीमित पहुँच। इसके लिये हमें कौशल विकास केन्द्रों एवं उत्पादन केन्द्रों को आस-पास लाना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और न्यायपालिका आदि के विकास में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियाँ सृजित की जा सकती हैं।

निष्कर्ष

सरकार को रोजगार तेजी से बढ़ाने की दिशा में कुछ ठोस उपाय करने होंगे। सरकार को सामाजिक, आर्थिक और श्रम नीति के दखल तथा सुधारों के द्वारा बहुउद्देशीय रोजगार सृजन नीति और विस्तृत खाका तैयार करना होगा।देश की जनसंख्या का 45 फीसदी हिस्सा जीडीपी के उस 17 फीसदी पर निर्भर है जिसमें महज 3 फीसदी की दर से बढ़त हो रही है। दूसरी तरफ, जनसंख्या का 55 फीसदी हिस्सा जीडीपी के उस 83 फीसदी हिस्से पर निर्भर है जिसमें सालाना 9 फीसदी की दर से बढ़त (मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं) हो रही है। श्रम शक्ति में महज 27 फीसदी महिलाएं जबकि 75 फीसदी पुरुष भागीदार हैं। अतः महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा आर्थिक तरक्की के केंद्र गहन रोजगार वाले सेक्टर होने चाहिए। अभी हाल यह है कि आर्थिक तरक्की का ज्यादा हिस्सा कम रोजगार वाले क्षेत्रों जैसे वित्त, रियल एस्टेट आदि से आता है। ज्यादा रोजगार कम वेतन वाले सेक्टर्स में है। 80 फीसदी से ज्यादा फर्म में 50 या उससे भी कम कर्मचारी हैं। भारत को अपने श्रम कानून में बदलाव करना होगा ताकि वित्त और बुनियादी ढांचा सेक्टर को मदद मिल सके।इस समय करीब 1.23 करोड़ श्रमिक सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि हर साल 60 लाख नए श्रमिक आ जाते हैं। निश्चति अवधि और ज्यादा वेतन वाले रोजगार को प्रोत्साहित करना होगा। नौकरियों के सृजन के साथ ही कौशल विकास पर जोर देना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

4. वर्तमान में न्यायपालिका के समक्ष संस्थागत चुनौतियाँ

सन्दर्भ

भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है और आज भी इसमें, भारत में सदियों तक रहे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान की ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के कुछ तत्व हैं। देश का सर्वोच्च कानून यानि भारतीय संविधान आज के दौर के कानूनी और न्यायिक प्रणाली की रुपरेखा देता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली 'आम कानून प्रणाली' के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। हमारी न्याय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विरोधात्मक प्रणाली पर आधारित है, यानि इसमें कहानी के दो पहलुओं को एक तटस्थ जज के सामने पेश किया जाता है जो तर्क और मामले के सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। हालांकि हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ निहित समस्याएं हैं जो इस प्रणाली के दोष और कमजोरियां दिखाती हैं और इनमें तुरंत सुधारों और जवाबदेही की आवश्यकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार मीडिया के जरिये देश से सीधा संवाद स्थापित किया है। उन्होंने उन तरीके के बारे में चिंता व्यक्त की जिनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय को प्रशासित किया जा रहा है। दरअसल इस विवाद की जड़ है मुख्य न्यायाधीश की 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' शक्ति है। सच कहा जाए तो आज न्यायपालिका 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' विवाद ही नहीं बल्कि कई समस्याओं से जूझ रही है। बात चाहे जजों की नियुक्ति में अपारदर्शिता की हो या फिर बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों की, आज न्यायपालिका ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ उसकी भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक है।

न्यायपालिका की संरचना

देश में अदालतें, ट्रिब्यूनल और नियामक यह सब मिलकर न्यायपालिका की एकीकृत संरचना का निर्माण करते हैं। भारत की शीर्ष अदालत

नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालते हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत आदि न्यायपालिका के अंग के रूप में कार्य करते हैं।

भारत का सुप्रीम कोर्टः 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। उसके आने पर भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान की सुप्रीम न्यायिक प्रणाली के न्यायिक की प्रिवी कांउसिल और संघीय अदालत खत्म हुए। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में होता है। शीर्ष कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। देश की विभिन्न सरकारों के बीच विवाद के कारण यह एक सुप्रीम अधिकारी भी है। इसके पास अपने द्वारा पहले दिए गए किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा का भी अधिकार है, साथ ही यह किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी या एक जिला कोर्ट से दूसरी में मामलों को हस्तांतरित भी कर सकता है।

राज्यों में उच्च न्यायालयः राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट के पास होती है। देश में 24 हाई कोर्ट हैं, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। सन् 1862 में स्थापित होने के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। राज्य या राज्यों के समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते हाई कोर्ट के पास शीर्ष कोर्ट की तरह अधिकार और शक्तियां हैं। हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयः जिला और अधीनस्थ अदालतें उच्च न्यायालय के तहत आती हैं। इन अदालतों का प्रशासन क्षेत्र भारत में जिला स्तर का होता है। जिला अदालत सभी अधीनस्थ अदालतों के उपर लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे होती है। जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास होता है। सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक केसों के न्याय का संचालन करते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपोलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उसे मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश के तौर पर संबोधित किया जाता है। जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक प्राधिकरण होता है। जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार रहता है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत होती है।

ट्रिब्यूनलः सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो चाहे फिर उसे शीर्षक में ट्रिब्यूनल ना भी कहा जाए। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश वाली अदालत में भी हाजिर होने पर वकील उस जज को ट्रिब्यूनल ही कहेगा।

फास्ट ट्रैक कोर्टः भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट यानि एफटीसी का लक्ष्य जिला और सेशन अदालतों में केसों के बैकलाग दूर करने का है। इन अदालतों के काम करने का तरीका भी सत्र और ट्रायल कोर्ट जैसा है। शुरूआत में फास्ट ट्रैक कोर्ट को लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को देखने के लिए बनाया गया था पर बाद में उन्हें विशिष्ट मामले देखने के लिए निर्देशित किया गया जो कि मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े थे।

लोक अदालतः लोक अदालत की अवधारण वैकल्पिक विवाद समाधान के तौर पर की गई है। यह ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। 'लोक' का मतलब लोग और 'अदालत' यानि कोर्ट है। लोक अदालतें विभिन्न मामले अच्छी तरह निपटाती है, जैसे मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे आदि।

भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियाँ

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्याः सरकार की किसी भी अन्य संस्था की तरह भारतीय न्यायिक प्रणाली भी समान रुप से भ्रष्ट है। हाल ही में हुए विभिन्न घोटालों जैसे सीडब्ल्यूजी घोटाला, 2जी घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार की घटनाओं सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है तथा भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई हैं। यहां जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्वत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लंबित मामलों की समस्याः भारतीय कानून प्रणाली में दुनिया में सबसे ज्यादा लंबित मामलों का बैकलॉग है जो कि लगभग 30 मिलीयन मामलों का है। इनमें से 4 मिलीयन हाई कोर्ट में, 65000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। यह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी से कानून प्रणाली की अयोग्यता का पता चलता है। जजों की संख्या बढ़ाने, और ज्यादा कोर्ट बनाने की बात हमेशा की जाती है पर इसे लागू करने में हमेशा देर या कमी होती है। इसके पीड़ित सिर्फ गरीब और आम लोग ही होते हैं क्योंकि अमीर लोग महंगे वकीलों का खर्च वहन कर सकते हैं और कानून अपने पक्ष में कर सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय और बड़े निवेशक भारत में व्यापार करने से हिचकिचाते हैं। इस बैकलॉग के कारण ही भारतीय जेलों में बंद कैदी भी पेशी के इंतजार में रह जाते हैं। यह भी बताया गया है कि भारत के आर्थिक हब मुंबई में अदालतें सालों पुराने जमीनी मामलों के बोझ तले दबी हैं जिससे शहर के औद्योगिक विकास में भी बड़ी रुकावट आती है।

पारदर्शिता की कमीः भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक और समस्या उसमें पारदर्शिता की कमी है। यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानून प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है।

विचाराधीन कैदियों की मुश्किलेंः भारतीय जेलों में बंद कैदियों में से ज्यादातर विचाराधीन हैं जो कि उनके मामलों के फैसले आने तक जेल में ही बंद रहते हैं। कुछ मामलों में तो ये कैदी अपने उपर दायर मामलों की सजा से ज्यादा का समय सिर्फ सुनवाई के इंतजार में ही जेल में निकाल देते हैं। इसके अलावा अदालत में खुद के बचाव का खर्च और दर्द वास्तविक सजा से भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग

पुलिस को अपनी ओर कर लेते हैं जिससे पुलिस अदालत में लंबित मामले के दौरान गरीब व्यक्ति को परेशान या चुप कर सकती है।

समाज से परस्पर संवाद नहीं: यह बहुत जरुरी है कि किसी भी देश की न्यायपालिका समाज का अभिन्न अंग हो और उसका समाज से नियमित और प्रासंगिक परस्पर संवाद होता रहे। कुछ देशों में न्यायिक निर्णयों में आम नागरिकों की भी भूमिका होती है। हालांकि भारत में न्यायिक प्रणाली का समाज से कोई संबंध नहीं है जो कि इसे ब्रिटिश न्यायिक सेट-अप से विरासत में मिला है। लेकिन 60 सालों में कुछ बातें बदली जानी चाहिए। आज भी कानून अधिकारी लोगों से मिलने के लिए करीब नहीं आते हैं।

हम देखते हैं कि सूचना और संचार में इतनी तरक्की से देश के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय कानून प्रणाली अब भी ब्रिटिश असर वाली दबंग और कपटी लगती है जो कि अमीर लोगों के लिए है। यह देश और आम लोगों से बहुत दूर है। सच तो यह है कि वर्तमान न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मानदंड और समय के अनुकूल नहीं है और सिर्फ समाज के एक वर्ग को खुश करने और उनके निहित स्वार्थ के लिए काम करती है। इसलिए इसके तुरंत पुनर्गठन की आवश्यकता है जिससे इसे लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश की शून्य जवाबदेहिता: एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था जिसमें कि अधिकांश मामलों की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा किये जाने की बजाय अलग-अलग जजों द्वारा की जाती है। जहाँ पेंडिंग पड़े मामलों की संख्या लाखों में है। जहाँ जजों का व्याख्यात्मक दर्शन अलग-अलग है। 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' की अपनी शक्ति के प्रयोग से मुख्य न्यायाधीश "समकक्षों में प्रथम" की व्यवस्था से आगे निकलते नजर आते हैं। सबसे बढ़कर यह कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मानलिया जाए कि किन्हीं परिस्थितियों में मुख्य न्यायधीश के ऊपर ही आरोप हों और वह स्वयं के मामले की सुनवाई के लिये जजों का एक पैनल बना रहा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ तब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती, जब तक कि सरकार की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज मुहर नहीं लगा देता फिर भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' पद्धति में सुधार आवश्यक है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव: वर्तमान में न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव उत्पन्न हो गया है जो बढ़ता ही जा रहा है। न्यायपालिका में संस्थागत संकट केवल न्यायपालिका या केवल कार्यपालिका के कारण नहीं है दरअसल इस संकट के लिये दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया जाना जहाँ न्यायपालिका द्वारा उठाया गया एक प्रतिगामी कदम था, वहीं कार्यपालिका द्वारा एमओपी को अब तक लटकाए रखना उचित नहीं कहा जा सकता। अत: बेहतर यही है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनने ही न दी जाए। इसी से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

न्यायिक सुधारों के क्षेत्र

एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तीव्र व कुशल न्यायपालिका की किसी भी देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। एक औसत नागरिक का शासन के तीनों अंगों में से सर्वाधिक विश्वास न्यायपालिका में ही होता है अत: हमें न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायिक सुधारों की ओर ध्यान देना होगा। अत: इसके लिए न्यायपालिका की जवाबदेही, शीघ्र न्याय,मुकदमेबाजी के खर्चों में कटौती, अदालतों में व्यवस्थित कार्यवाही, न्यायिक व्यवस्था में विश्वास, 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' विवाद का समाधान आदि के रूप में जल्द ही प्रयास करने होंगे।

न्याय में देरी: गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय की गारंटी दी गई है। आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटान में होने वाला विलंब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अत: त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक सुधारों को अमल में लाया जाना चाहिये।

न्यायधीशों की संख्या: न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे टकराव के कारण नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। न्यायाधीशों की संख्या कम होने का प्रभाव यह देखा जा रहा है कि शीर्ष न्यापालिका से लेकर जिला न्यायालय तक बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं। अत: न्यायाधीशों की नियुक्ति मामलों को शीघ्र निबटाना होगा।

मुख्य न्यायाधीशों के लिये एक निश्चित कार्यकाल: प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तुलना में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अत्यंत ही छोटा है। दरअसल, कई अध्ययनों द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि कार्यकाल की अधिकतम अवधि, उच्च दक्षता और बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की हमेशा से यह शिकायत रही है कि उन्हें न्यायपालिका के लिये सुधारात्मक गतिविधियों को अंजाम तक पहुँचाने का पर्याप्त समय नहीं मिला। अत: इस संबंध में सुधार किये जाने की महती आवश्यकता है।

जटिल एवं महँगी न्यायिक प्रक्रिया: देश में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं महँगी है। यही कारण है कि एक बड़ा तबका जो कि आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं है न्याय से वंचित रह जाता है। न्यायिक सुधार इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि आर्थिक महत्त्व के मामलों में देरी की वजह से देश की आर्थिक प्रगति भी बाधित होती है।

निष्कर्ष

हमें यह ध्यान रखना होगा कि कानून के शासन का अर्थ ही यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती और मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से जनता का विश्वास खत्म हो जाना अत्यंत ही चिंताजनक स्थिति होगी। एक औसत नागरिक का शासन के तीनों अंगों में से सर्वाधिक विश्वास न्यायपालिका में ही है। लेकिन हमारी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली बेहद धीमी और लगभग अक्षम हो चली है। अत: त्वरित न्याय सुनिश्चित करने, कानून के शासन को बनाए रखने तथा सुशासन की व्यवस्था कायम रखने के लिये न्यायिक सुधारों पर अमल किये जाने की जरूरत है। साथ ही 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' विवाद के अलावा अन्य न्यायिक सुधारों पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य-सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

5. भारत–नेपाल संबंध का नया दौर

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के.पी. शर्मा ओली ने 7 अप्रैल 2018 को द्विपीक्षीय संबंधों पर विस्तृत बैठक की। रक्षा, सुरक्षा व संपर्क और व्यापार जैसे मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिन अहम मुद्दों पर सहमति बनी है उनमे नई दिल्ली से काठमांडू तक नए रेलमार्ग का निर्माण भी शामिल है।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत, देश की प्राथमिकताओं के तहत नेपाल को मदद करना जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही देश संपर्क संबंधी सभी परियोजनाओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से नेपाल का लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी काठमांडू और दिल्ली के बीच नया रेलमार्ग तैयार करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत गठजोड़ है और दोनों ही अपनी खुली सीमा का दुरुपयोग रोकने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। उधर, ओली ने कहा कि वह भारत का दौरा 21वीं सदी की वास्तविकता के साथ दोनों के बीच द्वितीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम दोनों करीबी पड़ोसियों के बीच भरोसा आधारित संबंध की मजबूत इमारत खड़ी करना चाहते हैं।'

पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल के संबंध पुराने हैं। दोनों पड़ोसी दोशों की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में काफी समानता भी है। 1950 के भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि से स्वतंत्र भारत और नेपाल के विशेष संबंधों को नई ऊर्जा मिली। भारतीय गोरखा की बात करें तो नेपाली मूल के ये लोग यहां रहते आ रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता भी प्राप्त है। साथ ही नेपाली भाषा भारत के कार्यालय की भाषाओं में से एक है। इतिहास में नेपाल अधिराज्य के कई भाग ब्रिटिश राज के समय भारत में शामिल किए गए। जैसे, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, कुछ समय के लिए नेपाल का भी भू-भाग रहा। सिक्किम-एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां मुख्य रूप से नेपाली रहते हैं, जो 1975 में भारत का हिस्सा बना। दूसरे राज्य, जहां नेपालियों की बहुलता है, में उत्तराखंड, असम, हिमांचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। इसके साथ ही कई बड़े शहरों में भी नेपालियों की बड़ी संख्या है इनमें मुख्यत: दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और विशाखापटनम हैं। मौजूदा समय में भारत, नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में समेकित चेक पोस्टों के विकास, क्रास बार्डर रेल लिंक तथा तराई क्षेत्र में फीडर रोड के विकास के जरिये आधारभूत संरचना का विकास करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के पास से निकलने वाली शारदा नदी और गढ़वाल के उत्तरकाशी में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी को जोड़ने की परियोजना भारत और नेपाल के बीच पहले से मजबूत रिश्तों का नया "स्तम्भ" बनेगी। भारत और नेपाल ने बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना से जुड़ी तमाम बाधाओं को दूर करते हुए इसकी "कार्य योजना" तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत शारदा नदी को यमुना और फिर साबरमती से जोड़ा जायेगा।

'पंचेश्वर' परियोजना का कार्य

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि "पंचेश्वर परियोजना का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस विषय पर हाल ही में नेपाल से तकनीकी दल आया था और परियोजना के संबंध में कई बिन्दुओं पर चर्चा की। इसमें परियोजना से कितनी बिजली पैदा होगी, नेपाल एवं भारत का हिस्सा क्या होगा, परियोजना से कितनी भूमि सिंचित होगी इन सभी विषयों का समाधान निकाला गया।" उन्होंने कहा कि शारदा और यमुना नदी का मिलन केवल दो नदियों का मिलाप नहीं होगा बल्कि यह भारत और नेपाल के रिश्तों का "स्तम्भ" बनेगा।

नेपाल एवं भारत दोनों के हित में परियोजना

उन्होंने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाने एवं बाधाओं पर विचार करने के लिए सांसद भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने नेपाल का दौरा किया और भारत में पर्यावरणविदों समेत विभिन्न पक्षकारों से चर्चा की है। मेघवाल ने कहा कि पंचेश्वर परियोजना को आगे बढ़ाने पर व्यापक सहमति है और यह नेपाल एवं भारत दोनों देशों के हित में है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नेपाल की चिंताओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, "इस पर कार्य योजना तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है, इससे दोनों देशों में लाखों-हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकेगी," जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी साथ ही पानी की कमी को भी दूर किया जाएगा। इस परियोजना के तहत शारदा नदी का पानी यमुना में आने से यमुना में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के साथ पानी की समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा।

उत्तराखंड के लिए बेहद उपयोगी

उत्तराखंड के लिए यह परियोजना बेहद उपयोगी होगी। इससे इस नए पहाड़ी राज्य को बिजली, पानी व रोजगार के साथ बड़ी संख्या में देशी

एवं विदेशी पर्यटक भी मिलेंगे, इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि दो दशक पहले महाकाली जल संधि के जरिए भारत एवं नेपाल ने शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध परियोजना का काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में 2014 के बाद से तेजी आई।

अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की 26 सदस्यीय टीम

इस परियोजना के अध्ययन लिए विशेषज्ञों की 26 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें भारत के आठ व नेपाल के 18 सदस्य हैं। इस परियोजना की कुल लागत 33108 करोड़ रुपए है, जिसका 62.3 फीसद हिस्सा भारत और बाकी हिस्सा नेपाल वहन करेगा। इससे 5050 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 4.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हासिल होंगी। भारत में करीब 2.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा का विकास होगा।

भारत-नेपाल संबंधों की आवश्यकता

भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं हैं बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है जो इन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है, नेपाल भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक महत्व का है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगी है इस कारण नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता भारत को भी प्रभावित करती है।

भौगोलिक जुड़ावः भारत और नेपाल के बीच 1,850 किमी. लंबी सीमा है। यह लंबी सीमा भारत को सामरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है वहीं नेपाल के लिए भारतीय सीमा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।

भारत-नेपाल खास संबंधः 1950 में शांति और दोस्ती के लिए प्रतिबद्ध भारत-नेपाल संधि में नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही गई है। भारत में नेपाली नागरिकों को सिविल सेवा सहित दूसरी सरकारी सेवाओं में हिस्सा लेने की आजादी है। भारत-नेपाल सीमा खुली हुई है यहां के नागरिकों को एक-दूसरे देश में जाने के लिए किसी वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती।

रोजगार के अवसरः भारत में करीब 60 लाख नेपाली काम करते हैं। 45 हजार से ज्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और पैरामिलिट्री में काम करते हैं तथा करीब 6 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में रहते हैं।

आर्थिक पक्षः भारतीय कंपनियाँ नेपाल में सबसे बड़ी-निवेशक हैं। नेपाल में 2539 करोड़ की एफडीआई भारतीय प्रोजेक्ट के जरिए आती है। जो नेपाल की कुल एफडीआई का 40% है। 150 से अधिक भारतीय उपक्रम नेपाल में कार्यरत हैं।

जैसे- आईटीसी, डाबर इंडिया, एसबीआई, एशियन पेंट, मणिपाल ग्रुप, एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट और टाटा पॉवर जैसी कंपनियाँ आदि।

व्यापारिक पक्षः नेपाल के कुल कारोबार में 66% व्यापार भारत के साथ होता है, 3187 करोड़ मूल्य का कुल निर्यात नेपाल से भारत में होता है। 22,393 करोड़ का माल नेपाल में भारत से निर्यात होता है।

नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर है

वर्तमान में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग के तहत छोटी बड़ी लगभग 400 परियोजनाएं चल रही हैं। वहां उद्योग-धंधे नगण्य हैं, भारत में लगभग 50 लाख नेपाली नागरिक काम करते हैं। वे नेपाल में अपने परिवारों को अपनी कमाई का एक हिस्सा भेजते हैं। यह राशि नेपाल की जीडीपी में प्रमुख योगदान देती है।

चुनौतियां

भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं। लेकिन उनमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। भारत और नेपाल के बीच जैसा जुड़ाव है, वैसा दुनिया में किसी अन्य देश के बीच नहीं है। हम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हर तरह से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, लेकिन मधेसी और अन्य मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच खटास आ गई है।

नेपाल का चीन की ओर झुकाव

नेपाल का चीन की ओर झुकाव को लेकर भारत चिंतित हुआ है। यहां तक कि हाल के दिनों में नेपाली प्रधानमंत्री ओली के चीन के साथ नजदीकियों को देखते हुए भारत-नेपाल के बीच संबंध बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही थी। वर्तमान में चीन द्वारा नेपाल के हित में कई कार्य किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं।

- हाल में सीमा बंदी के कारण चीन ने नेपाल से ईंधन लेने की प्रक्रिया में कुछ कदम बढ़ाए हैं।
- नेपाल अपने पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार की राहें खोल रहा है।
- साल दर साल नेपाल में चीनी निवेश की तादाद बढ़ती ही जा रही है।
- नेपाल ने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए चीनी कंपनी की मदद ली।
- 1.6 अबर डॉलर की कीमत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से चीन नेपाल में अपनी पैठ बना रहा है जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ओबोर (OBOR) है।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता

राजशाही के बाद पिछले दस वर्षों में नेपाल इतने ही प्रधानमंत्री देख चुका है। इसमें प्रचंड दो बार और ओली भी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल में जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई लेकिन यह मजबूती से अब तक पैर नहीं जमा पाया है तथा वहां अब भी राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला है।

नदी जल विवाद

भारत अरसे से कोसी नदी पर बांध बनाये जाने की मांग नेपाल से करता आया है। इससे नेपाल में बिजली उत्पादन संभव हो पायेगा इसके लिए भारत ने पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल कोसी नदी की बाढ़ की चपेट में आ जाता है दूसरी ओर नेपाल का कहना है कि बांध बनाने से नेपाल की जमीन का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जायेगा। नेपाल सरकार का हमेशा से इस मामले पर टालमटोल का रवैया रहा है।

भारत का नेपाल में अनावाश्यक हस्तक्षेप

भारत के नेपाल में अपने हित निहित हैं, लेकिन भारत का नेपाल में हस्तक्षेप उतना ही हो, जिससे नेपाल की जनता का भरोसा न टूटे। नेपाल को कहीं भी यह महसूस न हो कि भारत अपनी नीतियों को नेपाल पर थोप रहा है।

आगे की राह

नेपाल के चीन के पाले में जाने की आशंका के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली का चयन करके यही संकेत दिए हैं कि, वह भारत से संबंध सुधारने के उतने ही इच्छुक हैं, जितना कि खुद भारत। यह स्थिति दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक बननी चाहिए। दोनों देशों के नागरिकों में एक-दूसरे के प्रति मैत्री भाव के साथ ही उनके बीच रोटी-बेटी का भी संबंध है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के हित में यही है कि वे पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ें।

भारत-नेपाल को एक-दूसरे को समझें

आपसी रिश्तों में मजबूती के लिए जहां एक ओर भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह

नेपाल की सहायता करते समय बड़े भाई की भूमिका में दिखे, वहीं नेपाल को भी यह देखना होगा कि वह चीन के विस्तारवादी रवैये पर नई दिल्ली की चिंताओं को भलीभांति समझे। निःसंदेह नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर चीन से भी दोस्ती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पड़ोसी देश से संबंध रखने के नाम पर उसे इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि भारतीय हितों के साथ-साथ खुद उसके हितों पर भी आंच आने लगे। उम्मीद है कि एक तो नेपाल का नेतृत्व खुद ही यह समझने को तैयार होगा कि चीन किस तरह छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और दूसरे, भारतीय नेतृत्व उसे यह संदेश सही तरह से देने में सफल होगा कि चीनी मदद किस तरह उसके गले का फंदा बन सकती है।

दोनों देशों के लिए खतरा है चीन: इस वक्त भारत के सामने चुनौती केवल नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने और इस पड़ोसी देश को भरोसे में लेने की ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि दक्षिण एशिया में चीन के घेरेबंदी की काट कैसे की जाए। चीन एक के बाद एक दक्षिण एशियाई देशों यानी भारत के आस-पड़ोस में अपना दखल जिस तरह बढ़ाता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के मामले में कुछ नया करना होगा इसलिए और भी, क्योंकि मालदीव में अपनी जड़ें जमाने के बाद चीन अब म्यांमार में भी मदद के नाम पर अपना जाल फैला रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी उसकी सक्रियता छिपी नहीं है और यह तो जगजाहिर ही है कि पाकिस्तान स्वेच्छा से उसकी गोद में बैठने के लिए उतावला है।

भारत को और रास्ते तलाशने होंगे: यह सही है कि भारत-अपनी सामर्थ्य भर पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद दे रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को अन्य उपायों का सहारा लेने पर विचार करना होगा। चूंकि दक्षेस संगठन नाकाम और निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए भारत को जल्द-से-जल्द ऐसे किसी संगठन को सक्रिय करना होगा जो नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मददगार बने।

- नदी जल विवाद से संबंधित पहलुओं को जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है। इससे संबंधित जो भी समस्या है उसके निदान के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- आजादी के समय भारत-नेपाल के मध्य हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए भारत को एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जो नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचें क्योंकि 2018 में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं।
- बीरगंज में नये इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट के उद्घाटन से लोगों एवं सामानों के आवागमन का रास्ता ज्यादा सुगम एवं तीव्र होगा। यही नहीं दोनों प्रधानमंत्रियों ने मोतिहारी (बिहार) और अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन की जो आधारशिला रखी, वह एकपक्षीय रूप से नेपाल के हित में है।
- नेपाल को तेल भारत के सड़क मार्ग से जाता है, जिसमें कई बार बाधा भी आ जाती है। पाइपलाइन से इसे बिना बाधा के नेपाल पहुंचाया जा सकता है।
- यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन विस्तार समझौते को हर दृष्टि से महत्वपूर्ण मानना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली से काठमांडू तक रेलमार्ग खुल जाएगा। रेल संपर्क से दोनों देशों के आम लोगों एवं कारोबारियों के बीच समागम बढ़ेगा। इसी तरह जल परिवहन पर जो सहमति बनी है, उसका प्रभाव दूरगामी होगा।
- नेपाल की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है। ऐसे में भारत में नदी परिवहन के कारण नेपाल को भारत होते हुए समुद्र तक प्रवेश मिल जायेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2
भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. भारत में सट्टेबाजी व जुआ की वैधता का प्रश्न

चर्चा का कारण

क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने के मुद्दे की जांच कर रहा विधि आयोग इसके दायरे में विस्तार करते हुए यह देख रहा है कि क्या इसमें दूसरे खेलों को शामिल करने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। आयोग हालांकि इस मामले में बेहद सतर्कता से आगे बढ़ रहा है क्योंकि इस मुद्दे में नैतिकता, नीति और देश का मौजूदा कानून शामिल है। विधि आयोग से पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो यह देखे कि क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी की इजाजत दी जा सकती है? इस मुद्दे को देखते हुए आयोग इसका दायरा दूसरे खेलों में जारी सट्टेबाजी तक बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रहा है क्योंकि इंटरनेट के जरिये सट्टेबाजी हो रही है और इसे रोक पाना मुश्किल है। कड़े नियमों के साथ एक नया कानून सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित करने में मदद कर सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है लेकिन आयोग जुए पर एक मसौदा कानून बनाने पर काम कर रहा है। चूंकि यह मुद्दा देश में नैतिकता से जुड़ा है इसलिए आयोग इस पर बेहद सतर्कता से आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि जस्टिस आर.एम.लोढ़ा कमेटी ने क्रिकेट में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए सट्टेबाजी को कानून के दायरे में लाने की सिफारिश कर चुके हैं। विधि आयोग इसके बाद ही सट्टेबाजी एवं जुआ को वैध बनाने की संभावनाओं को तलाश रहा है।

पृष्ठभूमि

जुआ से तात्पर्य किसी अवसर पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा धन या कीमती सामान की बाजी लगाने से है, जिसमें व्यक्ति पहले से ही यह उम्मीद रखता है कि वह धन/कीमती सामान को जीत सकता है। ज्ञातव्य है कि जुए को पुराने कानून 'सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867' के तहत परिभाषित किया गया है। जुआ में उत्तेजना की एक अंतर्निहित भावना है, सामान्य तौर पर जुआ, एक ऐसी घटना के परिणाम पर शर्त है जो अनिश्चित होता है। इसमें पसंदीदा विकल्प की स्थिति में अधिक धन पाने के लिए खेला जाता है "जुआ" कहलाता है। आधुनिक समय में खेल, कैसीनों गेम्स, घोड़ो की दौड़ पर सट्टेबाजी की जाती है।

जुए के खेल के बारे में बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि यह मानव जाति का प्राचीनतम् खेल है। पश्चिमी देशों के इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया से 6 फलक

वाला पाँसा प्राप्त हुआ है जो लगभग 3000 ई. पू. का है। जिससे यह संकेत मिलता है कि जुए की शुरूआत मध्य एशिया से हुई है। ऋग्वेद में भी जुआ के खेल का वर्णन है जैसे एक व्यक्ति कहता है कि "मैं अनेक बार चाहता हूं कि अब जुआ नहीं खेलूंगा, यह विचार करके मैं जुआरियों का साथ छोड़ देता हूं परंतु चौसर पर फैले पाँसों को देखते ही मेरा मन ललच उठता है" जुए की शुरूआत संभवतः भारत से हुई है।

पौराणिक कथाओं में जुए के खेल का वर्णन बड़े ही सटीक तरीके से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि राजा द्वारा नियुक्त द्यूताध्यक्ष यह सुनिश्चित करता था कि जुआ खेलने वालों के पाँसे शुद्ध हों और किसी प्रकार की कोई बेईमानी न हो। जुए में जीत का 5 प्रतिशत राज्य को कर के रूप में चुकाना पड़ता था। जुए को प्रारम्भ में भारत में मान्यता मिली हुई थी लेकिन मध्यकाल आते-आते इसे सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाने लगा। फिर भी जुए का खेल विभिन्न रूपों में खेला जाता रहा। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1867 में जुए/सट्टेबाजी को रोकने के लिए सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 पारित किया गया जो आज भी भारत में प्रचलित है। आज के समय में इसका स्वरूप बहुत बदल गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजी की जा रही है जिसमें सोशल मीडीया के साथ-साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है। अंडरवर्ल्ड के जाने-माने डॉन राजनीतिज्ञ, आम आदमी, बिजनेसमैन सभी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। भारत में जब से आईपीएल (इंडियन प्रिमियर लीग) की शुरूआत हुई तो मानों सट्टेबाजी में नई जान आ गई तभी से कई स्पाट फिंक्सिंग पकड़े गये जिसमें कई खिलाड़ी भी शामिल पाये गये थे। हालांकि जुआ को लेकर सामाजिक रूख पिछली शताब्दी से ही बदल गया है। जुआ को अब एक वैध मनोरंजन के रूप में देखा जाता है लेकिन अभी तक भारतीय कानून समय के साथ इससे तालमेल बैठा पाने में नाकाम रहा है।

क्या है कानून?

- आजादी से पहले लागू हुए सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के मुताबिक, बच्चों की सट्टेबाजी में लिप्तता गैर कानूनी है।
- देश की आजादी के बाद लागू भारतीय संविधान में राज्यों को इसका अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहाँ सट्टा या लॉटरी को अनुमति दे सकते हैं।
- 1996 में घुड़दौड़ पर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीप कोर्ट ने कहा था कि घुड़दौड़ में कौशल की जरूरत पड़ती है और यह केवल चांस की बात नहीं है इसलिए यहाँ सट्टेबाजी को अनुमति दी जा सकती है।
- इस समय भारत के सिक्किम और गोवा में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ही सट्टेबाजी को वैधता मिली है। इन राज्यों में ऑनलाइन खेल, सट्टा वैध है हालांकि इसके लिए ऑपरेटर के पास लाइसेंस होना जरूरी है।

विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की राय

- गौरतलब है कि जस्टिस आर.एम. लोढ़ा कमेटी ने क्रिकेट में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए सट्टेबाजी को कानून के दायरे में लाने की सिफारिश पहले ही कर चुकी हैं। विधि आयोग ने इसके बाद ही सट्टेबाजी एवं जुआ को वैध बनाने की संभावनाओं को तलाश रहा है, इसलिए राज्य के मुख्य सचिव से इस पर राय मांगी गई थी। राजस्थान में बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया जाता है। शेखावटी, फलौदी एवं बीकानेर को सट्टे की बड़ी मंडियों में से एक माना जाता है।
- सिक्किम को भारत का लॉस वेगास कहा जाता है एवं वहां जुआ घर चलाने की इजाजत है। सट्टा एवं जुआ उद्योग से बहुत राजस्व जुटाने की संभावना है जो सिक्किम एवं गोवा में देखा जा सकता है। राज्यों को सिक्किम मॉडल अपनाना चाहिए।
- मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट में सट्टेबाजी एवं कैसीनों का करीब 3 लाख करोड़ रु. का धंधा है। इसको वैध करने से सरकार को 12 से 19 हजार करोड़ रु. तक का राजस्व मिल सकता है।
- 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' (एआईजीएफ) संस्था का जून, 2016 में गठन किया गया। यह संगठन जुआ एवं सट्टा को वैध कराने के प्रयासों में जुटी है।
- इसी संस्था के एक कार्यक्रम में रंजीत सिन्हा ने कहा था कि खेल में जुआ एवं सट्टे का धंधा प्रतिबंध के बावजूद चल रहा है। सरकार को इसे वैध कर देना चाहिए क्योंकि इससे सरकार को राजस्व की संभावना है। खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने के बारे में पूछने पर न्यायमूर्ति मुद्गल ने कहा कि वह इस कदम का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, 'इससे स्पॉट फिक्सिंग और अन्य गैर कानूनी कार्य कम करने में मदद मिलेगी, सरकार को भी इससे कर के रूप में पैसा बनाना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपनी राय देने का हकदार है।

भारत में कहाँ-कहाँ है सट्टेबाजी वैध?

भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ विभिन्न खेलों में सट्टे और जुए को कानूनी मान्यता मिली हुई है। जैसे लॉटरी में अरूणाचल प्रदेश, असम (सिर्फ बोडोलैंड) नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और पंजाब शामिल हैं। सिक्किम और दमन-दीव में कैसीनों को कानूनी मान्यता मिली हुई है।

ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ सिक्किम में मान्य है। कौशल खेलों में असम व ओडिशा को छोड़कर सट्टे और जुए को भारत के ज्यादातर राज्यों में मान्यता मिली हुई है। घुड़ दौड़ में आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) कर्नाटक (बैंगलुरु-मैसूर), महाराष्ट्र (पुणें-मुंबई) तमिलनाडु (चेन्नई), पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और दिल्ली में सट्टे और जुए को कानूनी मान्यता है।

मुकाबला चाहे खेल के मैदान पर हो चाहे राजनीति के मंच पर, लाख कोशिशों और उपायों के बाद भी सट्टेबाजी रोकी नहीं जा सकी है। क्रिकेट में एक-एक बाल और चुनाव में एक-एक वोट पर करोड़ों के वारे-न्यारे होते हैं। तो क्या ऐसे में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दी जा सकती है? इस पर गठित आयोग ने आम जनता से भी यह जानना चाहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस हद तक सट्टेबाजी और जुए को वैध करार देना नैतिक रूप से उचित होगा? आयोग ने निम्नलिखित सवालों पर विचार मांगे हैं

- क्या सट्टेबाजी और जुए को वैध करने से अवैध कारोबार घटेगा?
- क्या लाइसेंस जारी करने से सरकार को पैसा मिलेगा?
- क्या इससे नोकरी पैदा होगी?
- क्या भारतीय संदर्भ में यह सही होगा?
- ऐसा कौन-सा मॉडल है जिससे लोग सट्टेबाजी में संलिप्त हैं? क्या उन्हें दिवालिया होने से बचाया जा सकता है?
- अगर वैधानिकता प्रदान किया जाता है, तो क्या विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में हाथ आजमाने का मौका दिया जाना चाहिए?

पक्ष में तर्क

भारत में सट्टेबाजी का छिपा हुआ एक बड़ा बाजार है। इसको कानूनी मान्यता मिलने से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, इससे जुड़ी अपराधों में कमी आएगी। सरकारी राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ जीडीपी में वृद्धि होगी तथा मनी लॉडरिंग जैसी समस्या से निपटने में आसानी होगी।

- जुए तथा सट्टेबाजी को मान्यता न होने से बड़े व्यापक पैमाने पर काला धन लगाया जाता है इस वजह से समाज सीधे तौर पर अपराध में संलिप्त हो जाता है साथ ही सरकार को बड़े राजस्व की हानि होती है।
- जुए के परंपरागत तरीकों को छोड़ दें तो अब कैसीनों, ऑन-लाइन लाटरी, ऑनलाइन रमी, घुड़दौड़ आदि में लोग पैसा लगाते हैं। यद्यपि भारत में कैसीनों को सिर्फ गोवा में मान्यता है।
- क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियाँ सट्टेबाजी में शामिल होती हैं। अनाधिकारिक तरीके से यह एक बड़ा व्यापार है इसलिए इसे वैध बनाकर सरकार यह धन देश के विकास में उपयोग कर सकती है।
- ब्रिटेन में सट्टेबाजी उद्योग का कुल वित्तीय प्रभाव 6 अरब पाउण्ड के बराबर है और यह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 1 लाख रोजगार प्रदान करता है।
- शेयर बाजार भी विशेषतः जुआ ही है, शेयरों की कीमतों का ऊपर नीचे जाना कोई निश्चित नहीं होता है। भारत में शेयर बाजार में लोग हर रोज धोखा ही खाते हैं। फिर भी यह भारत में वैध है क्यों?

विपक्ष में तर्क

- भारतीय सामाजिक ढाँचा तथा संस्कृति की विश्व में एक अलग पहचान है यहाँ पर जुआ, सट्टेबाजी को सामाजिक बुराई माना जाता है।
- हाँलाकि भारत में प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष तौर पर जुए और सट्टे की परम्परा रही है जिसने लाखों घरों को बर्बाद किया है। इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है।
- चूंकि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या का लगभग एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है ऐसे में अगर जुए को मान्यता मिली तो लोग अपनी बचत को इस बुराई में लगा देंगे, जिससे लोगों का बचत प्रभावित होगा, निवेश घटेगा, आत्महत्या जैसी घटनाएँ बढ़ेंगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लॉटरी है इसमें हारने के बाद कई लोग मौत को गले लगा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसी भी तरह से जुआ वैध नहीं करना चाहिए।
- क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर गली-गूचे में भी क्रिकेट खेला जाता है या यूँ कहें कि क्रिकेट भारत में सट्टेबाजी का गढ़ है। ऐसे में इसे मान्यता देने से बच्चे भी इस बुराई का शिकार हो सकते हैं।
- भारत का मध्यम वर्ग जुए जैसी बुराई से बचा हुआ है अगर सट्टेबाजी को अमलीज़ामा पहनाया जाता है तो मध्यम वर्ग भी इसमें शामिल हो जाएगा।
- शराब से मरने वालों की तादाद दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में शराब को बन्द कर रहीं हैं ऐसे में अगर कैसीनो और सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया तो शराब जैसी बुराई को रोक पाना मुश्किल होगा।
- वैधीकरण से न तो मैच फिक्सिंग समाप्त होगी और नहीं सट्टेबाजी का खेल। वैसे भी इस क्षेत्र में अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों की संलिप्तता पायी गई है अगर सट्टेबाजी को वैध करार दिया जाएगा तो अन्य खिलाड़ी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में होनहार खिलाड़ियों का कैरियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा।
- ऐसा माना जाता है कि जुआ कारोबार में अवैध तरीके से कमाया हुआ धन लगाया जाता है, जिससे एक समानान्तर अर्थवयवस्था का जन्म होता है। जिसमें वैध धन को काले धन में बदला जाता है।

निष्कर्ष

भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाने से पहले यहां की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा। चुकि भारत अभी विकास के मार्ग पर अग्रसर है तथा यहां की जनसंख्या की लगभग 10-15% आबादी गरीब एवं अनपढ़ है। इस लिहाज़ से जुए या सट्टेबाजी को चरणबद्ध तरीके से तथा एक सुस्थापित व्यवस्था के माध्यम से ही वैधता प्रदान की जानी चाहिए। विदित हो कि, ब्रिटेन में सट्टेबाजी या जुए को वैधता प्रदान करने में तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। **पहला:** जुए को अपराध मुक्त बनाए रखना, **दूसरा:** लोगों के लिए जुए को निस्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना, **तीसरा:** कमजोर तबको को सुरक्षा प्रदान करना तथा बच्चों को जुए से दूर रखना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

7. नगरों में बढ़ता ठोस अपशिष्टः एक गंभीर चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के '3R फोरम' के 8वें सम्मलेन का आयोजन किया गया। इस फोरम का आयोजन भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित किया गया। इस सम्मलेन का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जापान सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र संघीय क्षेत्रीय विकास (यूएनसीआरडी) के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का विषय '3R और संसाधन क्षमता के जरिये स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ हवा हासिल करना-एशिया-प्रशांत समुदाय के लिए 21वीं सदी की दृष्टि' था। इस साल फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 45 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने किया था। फोरम के समापन सत्र के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहे। अपशिष्ट प्रबन्धन के इस 3R कार्यक्रम में 106 भारतीय शहरों के मेयरों सहित सरकारी प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग के विशेषज्ञ और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले फोरम में अहम व्यापारिक घरानों की भी भागीदारी रही। ज्ञात हो की स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार, इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान मिला था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में इंदौर को यह कामयाबी मिली थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि '3R' के सिद्धांत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। जैव विविधता के संरक्षण, स्थायी जीवन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का स्वभाव भारतीय जीवन शैली के मार्गदर्शक दर्शन हैं और ये हमेशा प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं का हिस्सा भी रहे हैं। इसके अलवा इस अवसर के दौरान एक पुस्तक 'कंजर्वेशन इन लाइफस्टाइल: इंडियन हेरिटेज' भी जारी की गई, जिसमें भारतीय प्राचीन ग्रंथों में निहित अपशिष्ट प्रबंधन के 3R सिद्धांत के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही 8वां '3R' क्षेत्रीय फोरम महापौरों और शहर के अधिकारियों द्वारा शहरों में 'स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ वायु को लेकर इंदौर 3R घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था।

पृष्ठभूमि

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R फोरम को जापान की राजधानी टोक्यो में 2009 में शुरू किया गया था। 3 आर फोरम की अवधारणा जापान सरकार और यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट (यूएनसीआरडी) द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को 3R सिद्धांत के मुद्दों पर समग्र नीति, योजना और विकास प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी और तभी से एशियाई देशों में 3R की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को संबोधित करने व इस क्षेत्र से सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान किया गया है। इसमें कचरा प्रबंधन को लेकर उभरती हुई चिंता भी शामिल है। पिछले सात वर्षों में फोरम का आयोजन मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मालदीव, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस दौरान फोरम ने अभिनव, प्रभावी और स्मार्ट 3R आधारित समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8वां 3R क्षेत्रीय फोरम की आधिकारिक वेबसाइट पर आवासीय और शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप पुरी ने कहा, '3R- 'रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल' की अवधारणा भारत के डीएनए और संस्कृति का सदियों पुराना अभिन्न हिस्सा है। मगर दुर्भाग्य से बढ़ते शहरीकरण और चुनौतियों के चलते शहरी चेतना में इसकी अवधारणा हाशिये पर चली गई है। 2014 में भारत सरकार ने शहरों को 100 प्रतिशत साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विचार-विमर्श तथा सर्वोत्तम अभ्यास-भारत और एशिया-प्रशांत देशों को 3R के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी के एक उच्च स्तर को स्वीकार करने में सक्षम होगा। हमें 3R- रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल की अवधारणा को जमीन पर उतारने की जरूरत है ताकि जीरो वेस्ट को हकीकत बनाया जा सके।

अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं?

अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस सम्पूर्ण श्रृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण (Collection) व परिवहन (Transport) के साथ प्रसंस्करण (Processing) एवं निस्तारण (Disposal) तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है।

अपशिष्ट पदानुक्रम तीन-आर (3-r's) का अनुसरण करता है- जो न्यूनीकरण (reduce), पुनः उपयोग (Reuse) और पुनर्चक्रण (Recycle) के रूप में संदर्भित किये जाते हैं। ये तीनों R अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में उनकी वांछनीयता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं।

ठोस अपशिष्ट के प्रकार

किसी संरचना अथवा इमारत के बनने व उसके ढहने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अपशिष्ट प्लास्टिक अपशिष्ट, जो प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोगों से निर्मित होते हैं।

जैव चिकित्सकीय अपशिष्टः चिकित्सकीय कार्यों जैसे निदान, उपचार और प्रतिरक्षा से उत्पन्न अपशिष्ट के साथ उपचार उपकरण जैसे सुई, सिरिंज और दवाओं में शामिल अपशिष्ट।

खतरनाक अपशिष्टः ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनके प्रभाव से व्यक्ति या वातावरण के लिये तत्काल खतरा उत्पन्न होता है।

ई-कचराः इसमें अनुपयोगी कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैथोड रे ट्यूब (सी.आर.टी.), मुद्रित सर्किट बोर्ड (पी.सी.बी.), मोबाइल फोन, चार्जर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन इत्यादि को शामिल किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या

पिछले कुछ समय में ठोस कचरे की विभिन्न धाराओं में प्रसंस्करण और उपचार संबंधी चुनौतियाँ तथा वैज्ञानिक भूमिगत क्षेत्रों में अवशेषों का सुरक्षित निपटान चर्चा का कारण बना हुआ है।

प्राथमिकता से जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत ही जरूरी है उनमें एक है- 'कचरा प्रबंधन'। कचरा प्रबंधन शहरी जीवन के लिए एक बहुत बड़ी और विकराल चुनौती है। कचरे से उत्पन्न समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और शहरों को शीघ्रता से नरक में परिवर्तित कर रही हैं, किंतु अफसोस की बात है कि कचरे को सीमित करने, उसको शीघ्रता से स्थानान्तरित करने, नष्ट करने, या रीसाइक्लिंग करने, उनका उपयोग करने की तरफ समुचित चिंता नहीं दिखाई जा रही है।इस संबंध में दुनिया भर में अभिनव प्रयोग हो रहे हैं क्योंकि यह समस्या एक शहर या एक देश या एक महाद्वीप की नहीं है। इन प्रयोगों और अनुभवों का लाभ उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह अनेक प्रश्न कचरा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। समस्या की गंभीरता और जटिलता को आम नागरिक तक पहुचाना और उनका सहयोग प्राप्त करना बहुत कठिन काम है पर इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है।

दुनिया भर के देश आज नगरपालिका ठोस कचरा (एमएसडब्लू) प्रबंधन के मुद्दे से जूझ रहे हैं। वर्तमान वैश्विक नगरपालिका ठोस कचरा का स्तर लगभग 1.3 बिलियन टन प्रति वर्ष है और 2025 तक इसके 2.2 अरब टन तक पहुंचने की उम्मीद है। जबकि शहरी भारत से हर साल लगभग 54.75 मिलियन टन ठोस कचरा निकलता है। यूएन डीईएसए के सतत विकास विभाग के वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी, एर्गीट ब्रील्ड ने कहा कि, अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरों में चिंता का एक प्रमुख कारण बन जाएगा। यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण जल्द ही शहरों में सभी लोगों को संसाधन प्रदान कराने के लिए एक चुनौती का विषय बन जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है कि 2030 तक, दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी शहरों में बसने लगेगी।

3 आर फोरम के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन समाधान

भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी ने देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों में काफी वृद्धि की है। अपशिष्ट निपटान को लेकर उचित प्रबंधन नहीं होने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। जबकि 3R (रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल) की एकीकृत व्यवस्था के जरिये कचरा को प्रभावी तरीके से निपटाया जा सकता है।

शहरी भारत से हर साल लगभग 54.75 मिलियन टन ठोस कचरा निकलता है। फोरम भारत के 100% ठोस कचरे के अपने महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक उपयुक्त मंच मुहैया करा रहा है। इस फोरम के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपने 'मिशन शून्य अपशिष्ट' के माध्यम से इस अवधारणा को मजबूत करना है जिससे शहरों, उद्योगों और अन्य विभिन्न हितधारकों को एक संसाधन के रूप में कचरे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह फोरम 12 अप्रैल को 3R पुरस्कारों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3R के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले उद्योगों और नागरिक समाज संगठनों को सम्मानित किया गया। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 8वें क्षेत्रीय 3R फोरम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जापान के पर्यावरण मंत्री तदाहिको इतो ने भी कहा कि भारत और जापान 3R के सिद्धांत के मूल्यों के विकास के लिए हमेशा तकनीकी और विशेषता को साझा करते रहेंगे इसके साथ ही उन्होंने सभी दक्षिण एशियाई भागीदारों से 3R पर अपनी प्रौद्योगिकी और अनुभवों को साझा कर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक साथ काम करने को कहा।

प्रधानमंत्री के विषय में इतो ने बताया कि जब प्रधानमंत्री 3R के बारे में बात कर रहे थे तो श्री मोदी ने सतत विकास के लिए 6R का सिद्धांत दिया ये रिडियूस, रीयूज, रीसाइकिल, रीकवर, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुत कारगर है। इतो ने भारत के स्वच्छ अभियान मिशन की प्रशांसा करते हुए कहा कि भारत सरकार इससे देश में स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है।

अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं निस्तारण से संबंधित नवीन वैधानिक प्रावधान

इन्हीं संदर्भों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हुए पहले से चल रहे विभिन्न नियमों में कुछ बदलाव भी किये थे मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016

इस नियम का प्रभाव सभी स्थानीय निकायों एवं नगरीय संकुलों पर होगा।

प्रदूषणकर्त्ता के कर्त्तव्यों का निर्धारण करते हुए सर्वप्रथम यह कहा गया है कि प्रदूषणकर्त्ता सम्पूर्ण अपशिष्ट को तीन प्रकारों यथा जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग-अलग डब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता को ही देंगे।

इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित यूजर्स शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्त्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित किये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा- भारत सरकार के विभिन मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है।

स्थानीय निकायों के भी कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किये गए हैं, जैसे- घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण, विनियमन निर्माण, यूजर्स शुल्क निर्धारण तथा बायोमिथनेशन, माइक्रोबियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाना।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम

ये नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं, जहाँ से अपशिष्ट निर्माण होता है।

इस नियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो अपशिष्ट उत्पादनकर्त्ता 20 टन प्रतिदिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा, उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़-फोड़ के लिये स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा उसे अपने सम्पूर्ण अपशिष्ट को कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट आदि में वर्गीकृत कर संग्रहकर्त्ता को देना होगा।

इस नियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये गए हैं, वे निम्नलिखित हैं-

- उनके द्वारा प्रदूषणकर्ता के अपशिष्ट उत्पादन की प्रबंधन योजनाओं का परीक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा।
- संग्रह किये गए अपशिष्ट को सही तरीके से प्राप्त कर उपयुक्त स्थलों तक पहुँचाने का कार्य भी किया जाएगा।
- इस कार्य के लिये स्थानीय निकाय निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले सकते हैं।

ई-कचरा प्रबंधन नियम

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अक्तूबर 2016 से प्रभाव में आए। ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता, उपचारकर्त्ता व उपयोग- कर्त्ताओं आदि सभी पर लागू होंगे। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई-कचरे को संभालने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा, न कि उसमें से कीमती धातुओं को निकालने के बाद। इस नियम से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 कार्यरत था।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिये एक सक्षम अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र तथा उसका विनियमन अति आवश्यक है, परन्तु नियम निर्माण के अलावा देश में लोगों को अपशिष्ट निस्तारण के प्रति जागरूक व शिक्षित करने के प्रयास भी करने होंगे। इसके अलावा इस तरह के सम्मलेन के जरिये भारत को विभिन्न देशों से नई तकनीकी की जानकारी हासिल करके अपने देश में लानी चाहिये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर मंथन

प्र. हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नीति फोरम की पहली बैठक हुई। इस बैठक के प्रमुख उद्देश्य को रेखांकित करते हुए पूर्वोत्तर के विकास की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- पांच सूत्रीय विकास मिशन
- क्या है नीति फोरम?
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकारी पहल
- पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन का कारण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए 'नीति फोरम' की पहली बैठक हुई।
- नीति फोरम शुरू करने का उद्देश्य नियमित गतिविधियों से अलग इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए नए विचार और दृष्टिकोण को देखना है।

पृष्ठभूमि

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा समेत आठ राज्य हैं।
- पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न है। इस क्षेत्र में वह दृढ़ जातीय संस्कृति व्याप्त है जो संस्कृतीकरण के प्रभाव से बची रह गई।

पांच सूत्रीय विकास मिशन

- नीति फोरम की बहली बैठक में बागवानी, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पांच विकास मिशन को रेखांकित किया गया है।

क्या है नीति फोरम?

- सरकार ने 20 फरवरी 2018 को पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की थी।
- फोरम विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज एवं सतत विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करेगा।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकारी पहल

- केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से पूर्वोत्तर का समानांतर और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।
- इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए चार वर्षों में 5,886 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया, जबकि 2014-19 के दौरान नई सड़कें, पुल आदि में निवेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- इसके साथ ही यहाँ कृषि, उद्योग के विकास के साथ ही रोजगार के अवसर एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन का कारण

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं- भौगोलिक कारक, ढांचागत कारक, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उग्रवाद की समस्या आदि।

आगे की राह

- पूर्वोत्तर के विकास के लिए सुशासन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा किये जाने की जरूरत है।

सरकार के साथ ही व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत है ताकि केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का समुचित लाभ इस भू-भाग के निवासियों को मिल सके। ■

राष्ट्रीय वन नीति-2018, का मसौदा

प्र. हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा राष्ट्रीय वन नीति-2018 जारी किया गया है इस नए वन नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है मसौदा वन नीति-2018?
- पृष्ठभूमि
- नए मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों?
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय वन नीति-2018 जारी किया है तथा लोगों की राय मांगी है।

- देश में 30 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति में बदलाव किए जाने की तैयारी है।
- यह नई नीति-1988 की वन नीति का स्थान लेगी। नई नीति में पर्यावरण संतुलन और स्थिरता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को भी कवर किया गया है।

क्या है मसौदा वन नीति-2018?

- नई नीति में दीर्घकालिक वन और वन्य प्रणाली प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा।
- नई नीति में वनों को बचाने पर जोर दिया गया है।
- नई नीति में राष्ट्रीय स्तर पर "पर्यावरण प्रबंधन सूचना प्रणाली" विकसित किया जाएगा।
- भूमिगत जल भंडारों के पुन:भरण और सतही जल के विनियमन से जलापूर्ति बढ़ाना ताकि वनों की मृदा और वनों की सेहत बनी रहे।

पृष्ठभूमि

- ब्रिटिश काल में भारत की पहली वन नीति वर्ष 1894 में प्रकाशित की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली वन नीति 1952 में जारी की गई जिसके तहत 33% भू-भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था।
- वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में 36 साल बाद संशोधित किया गया।
- संशोधित वन नीति, 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास था।

नई मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों?

- केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 फरवरी, 2018 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2018 जारी किया।
- रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया की शीर्ष 10 देशों में शामिल है। रिपोर्ट के ताजा ऑकलन के अनुसार देश के 15 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत भू-भाग वनों से घिरा है।
- भारत में लगभग 15 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण तथा वृक्षावरण 33% से कम है।

चुनौतियाँ

- मसौदा नीति ग्राम सभाओं और जेएफएम समितियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की बात करता है, जबकि जेएफएम समितियों को संविधानिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित नीति में पर्यावरण वन और वन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाली जनजातियों के अधिकारों और हितों के संरक्षण की अनदेखी की गयी है।

आगे की राह

- जेएफएम समितियों को संविधानिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
- स्थानीय समुदायों को वन शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं तो स्थानीय समुदायों और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा।
- माकपा ने पर्यावरण, वन एवं जनजातियों के संरक्षण के लिए कार्यरत संगठनों और व्यक्तियों की मौजूदगी वाली एक समिति गठित करने का मंत्रालय को सुझाव दिया है। ■

कम होते रोजगार

प्र. भारत में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगारों का सृजन न होना एक चुनौती बन गया है। अतः बढ़ती बेरोजगारी के कारणों की चर्चा करते हुए रोजगार सृजन के उपाय को सुझाइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- पृष्ठभूमि
- रोजगार में कमी के कारण
- रोजगार के लिए समाधान
- निष्कर्ष

संदर्भ

- सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का भरोसा दिया था। लेकिन पिछले तीन साल में इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी है।

पृष्ठभूमि

- एलपीजी सुधारों के बाद से विनिर्माण क्षेत्र नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र है जो बाजार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। विनिर्माण को प्रोत्साहन दिए बिना सेवा क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अत: 2011 में एक विनिर्माण नीति लाई गई लेकिन यह भी रोजगार सृजन में नाकाम रही वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत थी वह 2015-16 में बढ़कर 5 प्रतिशत पहुँच गई। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने कहा कि वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 3.4 फीसदी बनी रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने भी यह बात स्वीकार की है।

रोजगार में कमी के कारण

- विश्व में सर्वाधिक युवा भारत में हैं। यहाँ के श्रमबल में हर वर्ष लगभग एक करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इस रफ्तार से रोजगार सृजित नहीं होते। गैर कृषि क्षेत्र में केवल 38 मिलियन रोजगार का ही सृजन हो पाया। कृषि में यंत्रीकरण होने से भी रोजगार कम हुए हैं। वेतन वृद्धि के कारण भी रोजगार सृजन कम हुआ है। इसके अलावा सरकार के पास रोजगार संबंधित कोई सटीक डाटा भी नहीं है।

रोजगार सृजन के लिए समाधान

- रोजगार सृजन के लिए पहला काम नई रोजगार नीति लाई जाए।
- विनिर्माण नीति में संशोधन किया जाए।
- बेरोजगारी और रोजगार सृजन के डाटा को अपडेट किया जाए।
- उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहाँ रोजगार सृजन अच्छा है।

निष्कर्ष

- अत: सरकार को रोजगार सृजन के लिए बहुउद्देशीय रोजगार सृजन नीति और विस्तार खाका तैयार करना होगा। ■

वर्तमान में न्यायपालिका के समक्ष संस्थागत चुनौतियाँ

प्र. वर्तमान में न्यायपालिका कई संस्थागत विवादों से गुजर रही है ऐसे में न्यायिक सुधारों की विवेचना करते हुए बताइए कि न्यायपालिका को किन-किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- भारतीय न्याय प्रणाली की संरचना
- भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियाँ
- न्यायिक सुधारों के क्षेत्र
- निष्कर्ष

संदर्भ

- भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनियाँ की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है भारतीय न्याय प्रणाली आम कानून प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। लेकिन वर्तमान समय में यह काफी समस्याओं चुनौतियों का सामना कर रही है।

भारतीय न्याय प्रणाली की संरचना

- देश में कई स्तर की विभिन्न तरह की अदालतें न्यायपालिका बताती हैं। अदालतें ट्रिब्यूनल और नियामक यह सब मिलकर देश के हित में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली बनाते हैं।

भारतीय न्यायिक प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

- न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्या
- लंबित मामलों की समस्या
- पादर्शिता की कमी
- विचाराधीन कैदियों की समस्याएँ
- समाज से परस्पर संवाद नहीं
- मुख्य न्यायाधीश की शून्य जवाबदेहिता
- न्यायिक नियुक्तियों का मामला
- न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति

न्यायिक सुधारों के क्षेत्र

- न्यायिक सुधारों की ओर ध्यान देते हुए हमें न्यायपालिका की जवाबदेही, शीघ्र न्याय, मुकदमेबाजी के खर्चों में कटौती, अदालतों में व्यवस्थित कार्यवाही, न्यायिक व्यवस्था में विश्वास 'मास्टर आफ दरोस्तर' विवाद का समाधान आदि क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- देश में न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक और सर्वजन सुलभ बनाने हेतु सरकार और न्यायपालिका को आपस में एक सांविधानिक हल खोजना होगा। ■

भारत–नेपाल संबंध का नया दौर

प्र. हाल ही में संपन्न नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊँचाई मिली है। इस कथन के संदर्भ में भारत-नेपाल संबंधों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर

- दृष्टिकोण
- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- नेपाल-भारत के बीच संबंधों की आवश्यकता
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के.पी. शर्मा ओली ने 7 अप्रैल, 2018 को द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत बैठक की। रक्षा व सुरक्षा, संपर्क और व्यापार जैसे मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, देश की प्राथमिकताओं के तहत नेपाल को मदद जारी रखेगा।
- नेपाली प्रधानमंत्री के.पी.ओली ने कहा कि वह भारत का दौरा 21वीं सदी की वास्तविकता के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को नई ऊँचाई देने के लिए कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत और नेपाल के संबंध पुराने हैं दोनों की सांस्कृतिक, धार्मिक भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में काफी समानता है।
- 1950 के भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि से स्वतंत्र भारत और नेपाल के विशेष संबंधों को नई ऊर्जा मिली।
- सिक्किम एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ मुख्य रूप से नेपाली रहते हैं, जो 1975 में भारत का हिस्सा बना।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत और नेपाल ने बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना से जुड़ी तमाम बाधाओं को दूर करते हुए 'कार्य योजना' तैयार करने की पहल शुरू कर दी है।
- जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया, कि पंचेश्वर परियोजना का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
- हाल में सीमा बंदी के कारण चीन ने नेपाल से ईंधन लेने की प्रक्रिया में कुछ कदम बढ़ाए हैं।

भारत-नेपाल संबंधों की आवश्यकता

- नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है।
- भौगोलिक जुड़ाव, भारत-नेपाल खास संबंध, रोजगार के अवसर, आर्थिक पक्ष, व्यापारिक पक्ष आदि की चर्चा करें।
- बीरगंज में नये इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट के उद्घाटन से लोगों एवं सामानों के आवागमन का रास्ता ज्यादा सुगम एवं तीव्र होगा।

चुनौतियाँ

नेपाल का चीन की ओर झुकाव, नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, नदी जल विवाद, भारत का नेपाल में अनावश्यक हस्तक्षेप आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

- भारत-नेपाल को एक-दूसरे को समझने की आवश्यकता है चीन दोनों देशों के लिए खतरा है, भारत को और रास्ते तलाशने होंगे आदि का वर्णन करें।
- नदी जल-विवाद से संबंधित पहलुओं को जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है।
- आजादी के समय भारत-नेपाल के मध्य हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए भारत को एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जो नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचे। ■

भारत में सट्टेबाजी व जुआ की वैधता का प्रश्न

प्र. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विधि आयोग सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दिये जाने पर विचार कर रहा है। इस आलोक में क्या भारत में सट्टेबाजी या जुए को मान्यता दी जानी चाहिए? आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है कानून?
- विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की राय
- पक्ष में तर्क
- विपक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- विधि आयोग से पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो यह देखे कि क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी की इजाजत दी जा सकती है?
- विधि आयोग इस मुद्दे की जांच कर रहा है तथा यह भी विचार कर रहा है कि क्या इसके दायरे में दूसरे खेलों को शामिल करने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है।
- यह मुद्दा देश में नैतिकता से जुड़ा है इसलिए आयोग इस पर बेहद सतर्कता से आगे बढ़ेगा।

पृष्ठिभूमि

- जुआ से तात्पर्य किसी अवसर पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा धन या कीमती सामान की बाजी लगाने से है, जिसमें व्यक्ति पहले से ही उम्मीद रखता है कि वह धन या कीमती सामान को जीत सकता है।
- जुआ में उत्तेजना की एक अंतर्निहित भावना है, सामान्यतौर पर जुआ एक ऐसी घटना के परिणाम पर शर्त है जो अनिश्चित होता है।
- पौराणिक कथाओं में जुए के खेल का वर्णन बड़े ही सटीक तरीके से मिलता है।

क्या है कानून?

- आजादी से पहले लागू हुए सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के मुताबिक, बच्चों की सट्टेबाजी में लिप्तता गैर कानूनी है।
- देश की आजादी के बाद लागू भारतीय संविधान में राज्यों को इसका अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहाँ सट्टा या लॉटरी को अनुमति दे सकते हैं।

विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की राय

- गौरतलब है कि जस्टिस आर. एम. लोढ़ा समिति ने क्रिकेट में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए सट्टेबाजी को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश कर चुके हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा है कि सट्टा को वैध कर देना चाहिए।
- फिक्की के अनुसार सट्टेबाजी एवं कैसीनो का करीब 3 लाख करोड़ रुपया का धंधा है। इसको वैध करने से सरकार को 12 से 19 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है।

भारत में कहाँ-कहाँ है सट्टा वैध

- भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां विभिन्न खेलों में सट्टे और जुए को कानूनी मान्यता मिली हुई है। जैसे- लॉटरी में अरूणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्कम आदि ऑन लाइन गेमिंग सिर्फ सिक्किम में हैं। सिक्किम, दमन व दीव में कैसीनो को कानूनी मान्यता मिली हुई है।

पक्ष में तर्क

- भारत में सट्टेबाजी का छिपा हुआ एक बड़ा बाजार है इसको कानूनी मान्यता मिलने से बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर, अपराधों में कमी, राजस्व में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, क्रिकेट जगत, शेयर बाजार आदि की चर्चा करें।

विपक्ष में तर्क

- भारतीय सामाजिक ढाँचा तथा संस्कृति की विश्व में एक अलग पहचान है जुए को मान्यता मिलने से लाखों घर बर्बाद होगें, बचत में कमी आएगी, निवेश कम होगा, मृत्यु दर में वृद्धि, इस खेल में बच्चे भी शामिल होंगे, शराब बंदी प्रोग्राम की असफलता, होनहार खिलाड़ियों की संलिप्तता बढ़ेगी आदि को दर्शाएँ।

निष्कर्ष

- भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाने से पहले यहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। ■

नगरों में बढ़ता ठोस अपशिष्टः एक गंभीर चुनौती

प्र. भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ता अपशिष्ट एक चुनौती बन गया है अतः अपशिष्ट निस्तारण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण

- पृष्ठभूमि
- अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं?
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या
- '3आर' फोरम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समाधान
- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैधानिक प्रावधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के '3 आर' फोरम के आठवें सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपशिष्ट प्रबंधन के सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3 आर फोरम को जापान की राजधानी टोक्यो में 2009 में शुरू किया गया था।

अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं?

- अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण शृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण व परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल है।

ठोस अपशिष्ट के प्रकार

- भवन का मलवा, प्लास्टिक अपशिष्ट, जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा आदि।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या

- दुनिया भर के देश आज नगरपालिका ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन से जूझ रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक नगरपालिका ठोस कचरा का स्तर लगभग 1.3 बिलियन टन प्रतिवर्ष है। शहरी भारत से हर साल लगभग 54.75 मिलियन टन ठोस कचरा निकलता है।

3 आर फोरम के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन

- 3 आर फोरम एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपशिष्ट निस्तारण के प्रबंधन तंत्रों को साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। 3 आर फोरम अपशिष्ट को रिड्यूज, रियूज एवं रिसाइकल की एकीकृत व्यवस्था के द्वारा निपटान का तरीका प्रदान करता है।

अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं निस्तारण से संबंधित नवीन वैधानिक प्रावधान

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव किया है।

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
2. कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम
3. ई-कचरा प्रबंधन नियम

निष्कर्ष

- भारत को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 आर तंत्र के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए लोगों को जागरूक करना होगा। तभी हम अपशिष्ट निस्तारण कर सकते हैं। ■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. अमेरिका ने ब्रिटेन-फ्रांस के साथ सीरिया पर किए हवाई हमले

अमेरिका ने कथित केमिकल अटैक पर सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में तेज धमाकों के साथ धूल-धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि बशर-अल-असद की 'आपराधिक' सरकार को निशाना बनाने के लिए सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। उधर, इन हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रूस ने इसे राष्ट्रपति पुतिन का अपमान करार दिया है। रूस ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

टॉप कॉमेंट

अमेरिका और रूस के हथियारो और राजनीति का परीक्षण का मैदान बना हुआ है सीरिया, कभी ये हमला करता कभी वो, मारे तो निर्दोष ही जाते है।

ट्रंप ने टेलिविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि असद सरकार द्वारा अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सीरिया में कथित रासायनिक हमले से हिंसा में 'बड़ी वृद्धि' हुई। ट्रंप ने आगे कहा, 'कुछ समय पहले मैंने अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं को सीरियाई तानाशाह बशर-अल-असद की रासायनिक हथियार क्षमताओं से जुड़े ठिकानों पर सटीक हमले करने के आदेश दिए।

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम जारी संदेश में सीरिया पर हमले की बात बताई।
- सीरिया के राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते रसायनिक हथियारों का प्रयोग किया था, जिसमें 60 लोगों की जान गई।
- ट्रंप ने कहा, 'इस कार्रवाई में हमारे साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हैं'।
- पिछले 7 साल से सीरिया में गृहयुद्ध के हालात बने हुए हैं।

■

2. बान की-मून को बाओ फोरम का अध्यक्ष चुना गया

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून को 09 अप्रैल 2018 को बाओ फोरम फॉर एशिया का अध्यक्ष चुना गया। बान की-मून जापान के यासुओ फुकुदा का स्थान लेंगे। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पूर्व गर्वनर झाउ शिओचुअन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियाँ बाओ फोरम की ओर से आयोजित सम्मेलन के दूसरे सत्र के दौरान हुई हैं। यह फोरम वर्तमान में चीन के हैनान प्रांत में चल रहा है। इस साल फोरम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लागार्दे, फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन भाग ले रहे हैं।

बाओ फोरम के बारे में

- बाओ फोरम को एशियाई दावोस कहा जाता है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक नेतृत्व की बैठक होती है।
- इस फोरम में शामिल देश इसके तहत अपने-अपने यहां उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
- इस साल हो रहे बाओ फोरम की थीम "एन ओपन एंड इनोवेटिव एशिया फॉर अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेटर प्रोसपेरिटी" रखा गया है।
- बाओ फोरम वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था।

- इसकी पहली बैठक अप्रैल 2002 में आयोजित की गई थी और उसके बाद से यह सालाना आयोजित किया जाता है।

■

3. नवाज शरीफ राजनीति हेतु आजीवन आयोग्य घोषित

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत अब वह न तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और न ही कोई चुनाव लड़ पाएंगे।

इस साल होने वाले आम चुनावों की तैयारी में लगी नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के लिए यह बड़ा धक्का है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल जुलाई में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामलों के चलते प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की बेंच ने एकमत से दिए इस फैसले में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए नवाज शरीफ को जीवन भर के लिए अयोग्य ठहराया है।

68 साल के शरीफ तीन बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं। लेकिन पिछले साल

जुलाई में पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। हालांकि इस फैसले पर काफी संदेह भी जाहिर किया गया था। नवाज शरीफ के समर्थक इस फैसले को सेना के जनरलों और न्यायाधीशों की मिलीभगत बताते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ देश के काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग (एन) के लिए बड़ा धक्का है। जो इस साल अगस्त में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुटी है। मुस्लिम लीग के नेता इस फैसले को एक साजिश बता रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ के विरोधी उन पर मनी लॉड्रिंग का आरोप लगाते रहे हैं। विपक्षियों का आरोप है कि शरीफ के परिवार ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया है।

तीन बार प्रधानमंत्री

- नवाज शरीफ पाकिस्तान के अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने रिकॉर्ड तीन बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। पहली बार वह नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक पीएम रहे। दूसरी बार उन्होंने फरवरी 1997 में सत्ता संभाली और 1999 में तख्तापलट तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2013 में आम चुनाव जीतने के बाद फिर उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी मिली। ■

4. यूएई में महिलाओं को समान वेतन कानून का अनुमोदन

अप्रैल 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मंत्रिमंडल ने महिलाओं एवं पुरूषों के लिए समान वेतन कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देशभर में महिलाओं को पुरूषों की तुलना में बराबर वेतन हासिल हो। इसके अन्तर्गत यूएई के विकास एवं वृद्धि में देश की महिलाओं एवं पुरूषों के समान योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। यूएई सरकार का यह अनुमोदन सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जाने तथा राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने को दर्शाता है। यूएई सरकार द्वारा इस कानून को मंजूरी देने का अर्थ है देश में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यूएई सरकार द्वारा इस कानून की मान्यता को लेकर लैंगिक समानता के इस कदम को लेकर देशभर की महिलाओं एवं समाजसेवी संस्थाओं ने सराहना एवं स्वागत किया है।

मुख्य तथ्य

पिछले कुछ सालों से संयुक्त अरब अमीरात की सरकार देश में लैंगिक समानता स्थापित करने तथा महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए निरंतर कई प्रयास कर रही है। यूएई सरकार ने वर्ष 2015 में यूएई कांउसिल फॉर जेंडर बैलेंस की स्थापना की थी। जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिलाना तथा दोनों के मध्य मौजूद असमानताओं को समाप्त करना था। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2017 में जेंडर बैलेंस गाइड भी लांच की थी।

विभिन्न जानकारियों एवं अध्ययन से पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात मिडल ईस्ट में महिलाओं को सबसे समान अधिकार प्रदान करता है और यह भी देखा गया है कि यूएई की फेडरल सरकार में महिलाओं को अन्य मिडल ईस्ट देशों की तुलना में बेहतर स्थान प्रदान किया है। ■

5. बांग्लादेश ने सरकारी नोकरियों में आरक्षण समाप्त किया

हाल ही में, छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नोकरियों में आरक्षण हटा दिया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दी। नौकरियों में आरक्षण नीति के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। विरोध के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ढाका यूनिवर्सिटी में हुई झड़पों में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई और हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का ऐलान किया। उन्होंने संसद में एक बयान में कहा, "आरक्षण समाप्त किया जाएगा क्योंकि छात्र इसे नहीं चाहते हैं"। ऐलान के वक्त कुछ नाराज दिखतीं प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों ने काफी प्रदर्शन कर लिया, अब उन्हें घर लौट जाने दें।" हालांकि प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि सरकार उन लोगों के लिए नौकरियों में खास व्यवस्था करेगी जो विकलांग हैं या पिछड़े अल्पसंख्यक तबके से आते हैं।

आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने रविवार से प्रदर्शन करना शुरू किया था। इसमें कई लोग घायल हो गए और ट्रैफिक व्यवस्था एक तरह से ठप पड़ गई। विरोधियों के एक समूह ने ढाका यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति के घर पर हमला बोल दिया जिससे उनके परिवार को सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी। इस घटना पर प्रधानमंत्री हसीना ने कहा, जिन लोगों ने उप-कुलपति के घर पर हमला बोला, वे छात्र कहलाने के लायक नहीं हैं। हसीना ने ऐसे छात्रों को सजा दिलाने का भी भरोसा दिलाया।

■

6. एफडीए ने मधुमेह की आंखों की बीमारी का पता लगाने के लिए पहले एआई उपकरण के विपणन को मंजूरी दी

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने आईडीएक्स-डीआर के विपणन (मार्केटिंग) को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरण है जिससे मधुमेह से संबंधित कुछ प्रकार की आंख की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।

आईडीएक्स-डीआर (IDx-DR), एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली एल्गोरिथ्म का उपयोग रेटिना कैमरे से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए करता है। एफडीए ने आईडीएक्स एलएलसी, जोकि एक मेडिकल डिवाइस विकसित करने वाली कंपनी है, को आईडीएक्स-डीआर की बिक्री की अनुमति दी है।

प्रमुख तथ्य

- यह उपकरण मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में आंखों की बीमारी से संबंधित रेटिनोपैथी के

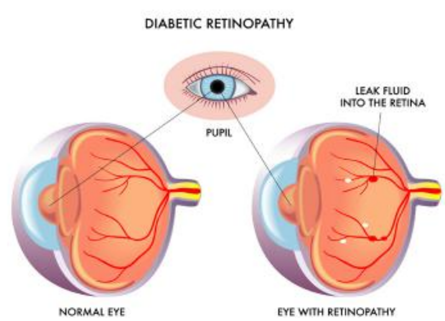

स्तर का पता लगाने में मदद करेगा। मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी आँखों की रोशनी के खोने का एक सामान्य कारण है। आईडीएक्स-डीआर एक चिकित्सक की सहायता के बिना तस्वीरों या परिणामों की व्याख्या करने के लिए स्क्रीनिंग निर्णय प्रदान करता है।
- चिकित्सक एक क्लाउड सर्वर पर मरीज के रेटिना की डिजिटल तस्वीरों को अपलोड करेंगे जिसमें आईडीएक्स-डीआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। यदि इस प्रक्रिया में एक सकारात्मक परिणाम का पता चलता है तो रोगी को आगे उपचार के लिए एक डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है।
- एफडीए ने 10 प्राथमिक देखभाल साइटों पर मधुमेह के साथ 900 मरीजों से प्राप्त रेटिना छवियों के एक नैदानिक अध्ययन से डेटा का मूल्यांकन किया है।
- एफडीए के अनुसार, इस अध्ययन में, IDx-DR हल्के मधुमेह रेटिनोपैथी की उपस्थिति को 87.4 प्रतिशत समय सही ढंग से पहचानने में सक्षम था और साथ ही 89.5 प्रतिशत समय उन रोगियों को सही ढंग से पहचानने में सक्षम थे जिनमें हल्की मधुमेह रेटिनोपैथी नहीं थी। हालांकि एफडीए ने कहा है कि आईडीएक्स-डीआर का इस्तेमाल उन मधुमेह वाली मरीजों में नहीं किया जाना चाहिए, जो गर्भवती हैं।

■

7. संयुक्त राष्ट्र ने लांच किया सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड

दुनियाभर में खासकर भारत और कनाडा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की शुरुआत की है। इस फंड का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में कमी लाने के साथ ही सुरक्षित और सहज परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

फंड लांच करने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आमसभा में गुरुवार को सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान यूएन उपमहासचिव अमीना मुहम्मद ने कहा, 'सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें आज वैश्विक समस्या बन गई है। हर साल इस कारण करीब 13 लाख चालक, वाहन सवार और

पैदल यात्रियों की मौत हो जाती है। करीब पांच करोड़ लोग घायल होते हैं। लोगों की जान की रक्षा और नुकसान की भरपाई के लिए यह फंड लांच किया जा रहा है।' उन्होंने सभी संबद्ध पक्षों से फंड में निवेश और सड़क हादसों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की गुजारिश की।

विशेष तथ्य

- यह सड़क सुरक्षा 2011-20 के लिए कार्यवाही के दशक के लिए ग्लोबल प्लान के पांच स्तंभों के साथ प्रयासों का समर्थन करेगा।
- सड़क सुरक्षा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना।
- सड़क संरचना और व्यापक परिवहन नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा।
- सड़क उपयोगकर्ताओं के बेहतर व्यवहार।
- दुर्घटनाग्रस्त पोस्ट क्रैश देखभाल।
- वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना।

■

राष्ट्रीय

1. 'ई-एफआरआरओ' योजना

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल 2018 को वेब आधारित ऐप 'ई-एफआरआरओ' (ई-फॉरेनर्स रीजनल रेजिस्ट्रेशन ऑफिस) लॉन्च किया। ई-एफआरआरओ योजना का उद्देश्य भारत आने वाले विदेशियों को तेजी से और कुशल सेवाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके।

ई-एफआरआरओ योजना

- ई-एफआरआरओ योजना से विदेशी पर्यटकों और यात्रियों को मानव रहित इंटरफेस की आवश्यकता को खत्म करते हुए पेपरलेस और कैशलेस वीजा से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिल जाएगी।
- नई प्रणाली में विदेशियों को भारत में 27 वीजा और आव्रजन सेवा केंद्रों से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने का लाभ मिलने लगेगा।
- उन्हें एफआरआरओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी एवं वे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा ई-मेल या पोस्ट के जरिये सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- ई-एफआरआरओ के अंतर्गत विदेशियों को स्वयं पंजीकरण कर अपनी यूजर आईडी बनाने की आवश्यकता होती है।
- इसके बाद वे भारत में पंजीकरण, वीजा विस्तार, वीजा रूपांतरण, निकास परमिट आदि जैसे विभिन्न वीजा और आव्रजन संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ई-एफआआरओ योजना के अंतर्गत चार रीजनल एफआरओ बनाये गए हैं, इनमें चार केंद्र 2018 बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में शुरू किये गए।
- अब कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, कोच्चि, तिरूवनंतपुरम, कोझीकोड, लखनऊ और अहमदाबाद में भी रीजनल सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। पिछले साल देश में एक करोड़ से ज्यादा पर्यटक भारत आये थे जिनमें तकरीबन 3.6 लाख लोगों को वीजा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए एफआरआरओ कार्यालयों में जाना पड़ा था। ■

2. भानू प्रताप शर्मा

केंद्र सरकार ने भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय के स्थान पर यह पद दिया गया है। इनके अतिरिक्त सरकार की ओर से तीन अन्य सदस्यों वेदिका भंडारकर, पी प्रदीप कुमार और प्रदीप पी शाह को भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति दो साल के लिए हुई थी। भानु प्रताप शर्मा को भी दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के लिए की थी।

फरवरी 2016 में सरकार ने 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' का गठन किया और उसे सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिये उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी गई। बाद में सरकार ने बैंकों के लिये पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का दायित्व भी 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' को सौंप दिया। पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) विनोद राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

भानु प्रताप शर्मा वर्तमान में डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट और असेसमेंट के चेयरमैन हैं और डीओपीटी तथा हेल्थ विभाग के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तीन नये सदस्यों में वेदिका भंडारकर पहले क्रेडिट सुइस इंडिया की वाइस चेयरमैन और एमडी रह चुकी हैं। पी प्रदीप कुमार एसबीआई में साल 2013 से साल 2015 में एमडी रह चुके हैं। प्रदीप पी शाह, क्रिसिल के फाउंडर और एमडी रह चुके हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकों में टॉप मैनेजमेंट की नियुक्ति और बैंकों के एनपीए पर सुझाव देता है। ■

3. मिशन बुनियाद

दिल्ली के नन्हें बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश में दिल्ली सरकार ने 11 अप्रैल 2018 को मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। इस मिशन के माध्यम से दिल्ली सरकार ने तीन महीने के भीतर राज्य में तीसरी से नौवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने और सामान्य गणित की शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ज्ञातव्य है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान चलने वाले इस अभियान के लिए सरकार ने रेडियो और बैठकों के जरिए अभिवावकों से अपील की है कि इस दौरान दिल्ली रहकर बच्चों को एक्टिविटी पर आधारित क्लासों में भेजें। बच्चों को रोज 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग देकर पढ़ने और गणित के सवाल हल करने में सक्षम बनाया जाएगा।

इसमें दिल्ली सरकार के अलावा स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढने वाले बच्चे भी शामिल होंगे। कक्षा तीन, पांच और आठ का लर्निंग लेवल काफी कम मिलने के बाद सरकार ने 'मिशन बुनियाद' का कार्यक्रम तय किया। यह कैंपेन जून तक चलाया जायेगा एवं हर बच्चे को अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है उसका अलग ग्रुप होगा। हर एक बच्चे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा और क्लॉसरूम में क्रिएटिव माहौल तैयार किया जाएगा।

हाल ही में सरकार द्वारा कराये गये एक अध्ययन में पता चला है कि देशभर में पढ़ाई को लेकर एक बड़ी समस्या है। बच्चे अपनी क्लास की किताब तक नही पढ़ पा रहे हैं या गणित के सवाल हल नहीं कर पाते हैं। दिल्ली और देश के हर राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे रीडिंग और गणित में कमजोर हैं ऐसे में जो बच्चे पाठ्य पुस्तक नही पढ़ पा रहे हैं या गणित हल नही कर पा रहे हैं उन्हें बेहतर करना आवश्यक हैं। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों से मिलकर काम करने की अपील की है।

■

4. देश की पहली '5–जी' प्रयोगशाला

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली ने अत्याधुनिक 5जी उपकरणों का निर्माण, अनुसंधान और मानक निर्धारित करने के लिए एक रेडियो (बिना तार की) प्रयोगशाला स्थापित की है। आईआईटी–दिल्ली ने एक बयान में कहा, "आईआईटी–दिल्ली में 5जी उपकरणों के मानक स्थापित करने, अनुसंधान और निर्माण के क्षेत्र में भारत को प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास के तहत 'मैसिव मीमो रेडियो' प्रयोगशाला स्थापित की गई है और इसका शुभारंभ 13 अप्रैल को हुआ। भारत में यह अपने तरह की पहली प्रयोगशाला है।"

फायदा

यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक विकिरण के उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा और इसके कारण न्यूनतम रेडियो हस्तक्षेप होगा, जिससे बेहतर संचार हो सकेगा। भारत में ही अगर दूरसंचार उपकरण बनने लगेंगे तो दूर दराज के ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' का महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसका उद्देश्य भारत को प्रौद्योगिकी मानकीकरण, अनुसंधान एवं विकास और 5जी उपकरणों के निर्माण में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

5जी

इस स्कूल में 5जी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस और डिजिटल इनोवेशंस लैब भी है। इनके साथ मिलकर इस सेंटर में टेलिकम्यूनिकेशन पर कई पहलुओं पर रिसर्च की जाएगी। मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट (मीमो) सिस्टम में 3जी और 4जी के मुकाबले कई ऐंटिना बेस स्टेशन में लगाए जाते हैं। इससे बड़ी तादाद में मोबाइल टर्मिनल को एक ही फ्रिक्वेंसी में एक ही वक्त पर नेटवर्क मिलेंगे। साथ ही, इस सिस्टम में 3जी और 4जी के मुकाबले 10 गुना कम पावर का रेडिएशन होगा। इससे सेहत का नुकसान भी कम होगा तथा इससे भारत आईटी क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा।

■

5. भारत की विकास दर 7.3 फीसदी: विश्व बैंक

विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहेगी और वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में यह बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। विश्व बैंक ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभावों से निकल चुकी है। अब इस विकास दर को बरकरार रखने के लिए भारत को हर साल लाखों नौकरियां सृजित करनी होंगी। वहीं दूसरी ओर देश के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में मार्च में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और यह 2.47 फीसदी रही, जो इसके पिछले महीने में 2.48 फीसदी थी। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 16 अप्रैल 2018 को जारी आंकड़े के मुताबिक, डब्ल्यूपीआई महंगाई दर मार्च 2017 में 5.11 फीसदी रही थी, जो वर्तमान दर के मुकाबले दोगुनी है। विश्व बैंक ने अपने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में भारत के लिए कहा है कि वर्ष 2017 में जीडीपी 6.7 फीसदी थी, जो कि वर्ष 2018 में 7.3 फीसदी के आंकड़े को पार कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि निजी निवेश और उपभोग काफी बढ़ेगा।

विश्व बैंक के अनुसार भारत को अपनी रोजगार दर बरकरार रखने के लिए सालाना 81 लाख रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने कहा कि हर महीने, 13 लाख नये लोग कामकाज करने की उम्र में प्रवेश कर जाते हैं। वर्ष 2005 से 2015 तक लगातार रोजगार का स्तर गिर रहा है जिसकी मुख्य वजह महिलाओं का नौकरियाँ छोड़ना है। विश्व बैंक ने कहा

कि मौजूदा सरकार नये-नये बदलाव कर रही है इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती है। साल में दो बार जारी होने वाली साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट 'जॉबलेस ग्रोथ' में बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की बदौलत इस क्षेत्र ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है।

साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट यह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हैं, जिसे वर्ष में दो बार जारी की जाती है। यह रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के अनुसार निवेश और निर्यात बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर वाला देश भारत रहा है, जबकि सबसे कम जीडीपी वृद्धि दर वाला देश अफगानिस्तान रहा है। ■

6. कॉमनवेल्थ गेम्स – 2018

आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपना सफर खत्म किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य के साथ कुल 66 पदक जीते। इस तरह भारत पदक तालिका में आस्ट्रेलिया और इंग्लैण्ड के बाद तीसरे स्थान पर रहा। साल 2014 में स्कॉटलैण्ड के ग्लास्गो में हुए 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य के साथ कुल 64 पदक जीते थे और पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा था।

खिलाड़ियों के इस लाजवाब प्रदर्शन के कारण पूरे देश में उल्लास का माहौल है। समापन पर इस खुशी में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर चार चांद लगा दिए। उन्होंने यह पदक अपने ही देश की पीवी सिंधू को हराकर जीता। पीवी सिंधू को सिल्वर मेडल मिला। साइना का स्वर्ण देश के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि वो चोट के कारण कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाई थी। सभी खिलाड़ी और उनके पदक पूरे देश के हैं।

अगर राज्य स्तर पर इनका आकलन किया जाए तो भारत की पदक तालिका के नंबर तीन पर आने में सर्वाधिक योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा। इस बार भारत ने गोल्ड कोस्ट में अब तक सबसे बड़ा 218 खिलाड़ियों का दल भेजा था। जिनमें से 37 खिलाड़ी हरियाणा के थे और इन्होंने नौ गोल्ड, छह रजत और सात कांस्य समेत 22 पदक जीते। साइना नेहवाल ने भी खेल की शुरूआत हरियाणा से ही की थी।

इंफाल के एक छोटे से गांव में आग जलाने के लिए लकड़ी चुनने वाली मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई। बनारस के छोटे से गांव से आने वाली पूनम यादव ने भूखे रहकर ट्रेनिंग की और देश के लिए वेटलिफ्टिंग में सोना जीतकर लाई। किसान परिवार में जन्मी पूनम के घर के आर्थिक हालात ये हैं कि लाडली को खेलने के लिए विदेश भेजने को पिता ने अपनी दो भैंसे बेच दीं।

मणिपुर के एक गरीब परिवार में पैदा हुई मैरीकॉम तीन बच्चों की परवरिश के बाद बॉक्सिंग रिंग में उतरी और विरोधियों को चित कर दिया। हरियाणा के झज्जर जिले की मनु भाकर ने 16 और करनाल के अनीश ने महज 15 वर्ष की उम्र में ही सोने पर निशाना लगा दिया। अनीश भनवाला ने तो कॉमनवेल्थ के लिए दसवीं की परीक्षा तक छोड़ दी।

खिलाड़ियों के देश के लिए खेलने के इसी जज्बे को देखकर ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट हमें प्रेरणा देता है। उनकी जीवन कथाएं समर्पण और शक्ति के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। उन्होंने सफलता की ऊंचाई हासिल करने के लिए अनगिनत बाधाओं को दूर किया। ■

7. "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को बिहार के मोतिहारी में स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के एक हिस्से के रूप में बैठक का आयोजन किया गया था उन्होंने देश के चार लाख स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 20,000 स्वच्छाग्रही उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर ही प्रधानमंत्री 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक में स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया तथा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब बिहार ने गांधी जी को 'महात्मा' बना दिया था, 'बापू' बना दिया था। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां स्वच्छता का दायरा 50 फीसदी से कम था लेकिन स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। गंगा तट के किनारे बने गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है। गंगा किनारे बसे गांवों में कचरे के प्रबंधन की योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि गांव का कचरा नदी में न बहाया जाए। जल्द ही गंगा तट पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

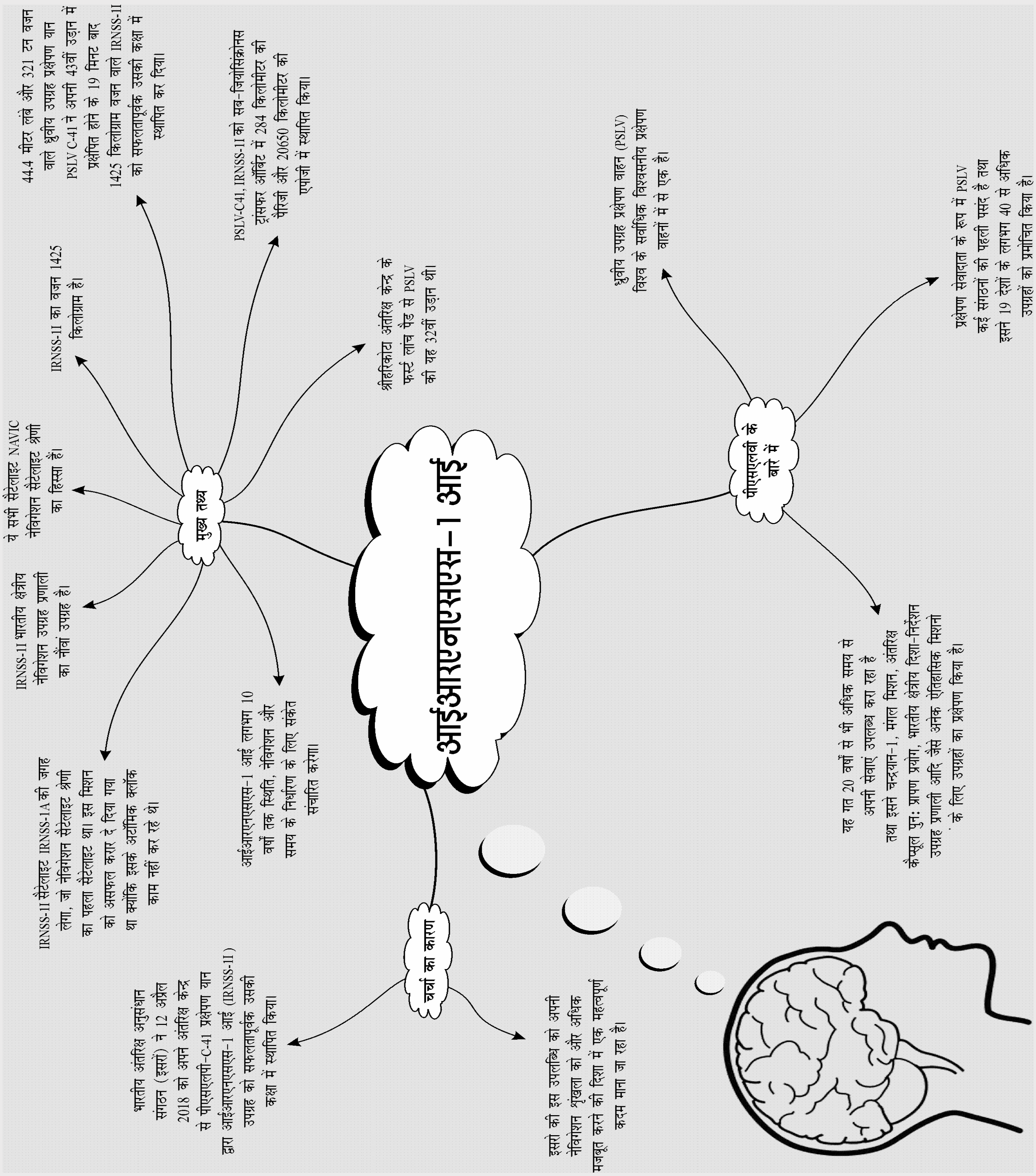
आईआरएनएसएस–1 आई
मुख्य तथ्य
IRNSS-1I सैटेलाइट IRNSS-1A की जगह लेगा, जो नेविगेशन सैटेलाइट श्रेणी का पहला सैटेलाइट था। इस मिशन को असफल करार दे दिया गया था क्योंकि इसके अटॉमिक क्लॉक काम नहीं कर रहे थे।
IRNSS-1I भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नौवां उपग्रह है।
ये सभी सैटेलाइट NAVIC नेविगेशन सैटेलाइट श्रेणी का हिस्सा हैं।
IRNSS-1I का वजन 1425 किलोग्राम है।
44.4 मीटर लंबे और 321 टन वजन वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-41 ने अपनी 43वीं उड़ान में प्रक्षेपित होने के 19 मिनट बाद 1425 किलोग्राम वजन वाले IRNSS-1I को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया।
PSLV-C41, IRNSS-1I को सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 284 किलोमीटर की पैरिजी और 20650 किलोमीटर की एपोजी में स्थापित किया।
श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्द्र के फर्स्ट लांच पैड से PSLV की यह 32वीं उड़ान थी।
आईआरएनएसएस-1 आई लगभग 10 वर्षों तक स्थिति, नेविगेशन और समय के निर्धारण के लिए संकेत संचारित करेगा।
चर्चा का कारण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 12 अप्रैल 2018 को अपने अंतरिक्ष केन्द्र से पीएसएलपी-C-41 प्रक्षेपण यान द्वारा आईआरएनएसएस-1 आई (IRNSS-1I) उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया।
इसरो की इस उपलब्धि को अपनी नेविगेशन शृंखला को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पीएसएलवी के बारे में
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहनों में से एक है।
यह गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है तथा इसने चन्द्रयान-1, मंगल मिशन, अंतरिक्ष कैप्सूल पुन: प्रापण प्रयोग, भारतीय क्षेत्रीय दिशा-निर्देशन उपग्रह प्रणाली आदि जैसे अनेक ऐतिहासिक मिशनो के लिए उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है।
प्रक्षेपण सेवादाता के रूप में PSLV कई संगठनों की पहली पसंद है तथा इसने 19 देशों के लगभग 40 से अधिक उपग्रहों को प्रमोचित किया है।

आर्थिक स्वतंत्राता सूचकांक–2018

चर्चा का कारण

- अमेरिकी थिंक टैंक 'द हेरिटेज फाउंडेशन' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता के इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार आया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इंडेक्स में भारत ने 13 अंकों की छलांग लगाई है इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार की नीतियां रंग ला रही हैं।

भारत और अन्य देश

- 180 देशों की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद फाउंडेशन ने जो सूची जारी की है उसमें भारत 54.5 अंकों के साथ 130वें पायदान पर है।
- 2017 में उसकी रैंक 143 थी तब उसे कुल 52.6 अंक मिले थे। वर्ष 2018 में पाक की रैंक 131 है यानी वह भारत से एक स्थान पीछे खिसक गया है।
- चीन को 2017 में 57.4 अंक मिले थे तब उसकी रैंक 111 थी जबकि चीन ने इस बार एक रैंक की छलांग लगाई है और वह 110 पर काबिज हो गया है।

विशेष

- फाउंडेशन का कहना है कि भारत को इस बार 1.9 अंक की बढ़त दिलाने में न्यायिक सक्रियता भी जिम्मेदार है।
- कारोबार करने की आजादी के मामले में काफी सुधार आया है एवं खुले आर्थिक बाजार में भारत एक ताकत बनकर उभर रहा है।
- गौरतबल है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की रिपोर्ट में भारत को 30वां स्थान मिला है तथा इसमें क्षेत्र के 43 देशों की नीतियों की समीक्षा की गई है।
- इसमें कहा गया है कि भारत जिस तेजी से अपनी नीतियों व व्यवस्था में सुधार कर रहा है उसके असर भविष्य में देखने को मिलेंगे।

मुख्य तथ्य

- आर्थिक रूप से कम स्वतंत्र-10 देश; 1. जिबूती 2. अल्जीरिया 3. बोलीविया 4. जिम्बांवे 5. गुयाना 6. एरटेरिया 7. कांगों गणराज्य 8. क्यूबा 9. वेनेजुएला 10. उत्तर कोरिया हैं।
- आर्थिक रूप से स्वतंत्र टॉप-10 देश; हांगकांग 2. सिंगापुर 3. न्यूज़ीलैण्ड 4. स्विट्ज़रलैंड 5. ऑस्ट्रेलिया 6. आयरलैंड 7. एस्टोनिया 8. यूनाइटेड किंगडम 9. कनाडा 10. संयुक्त अरब अमीरात है।

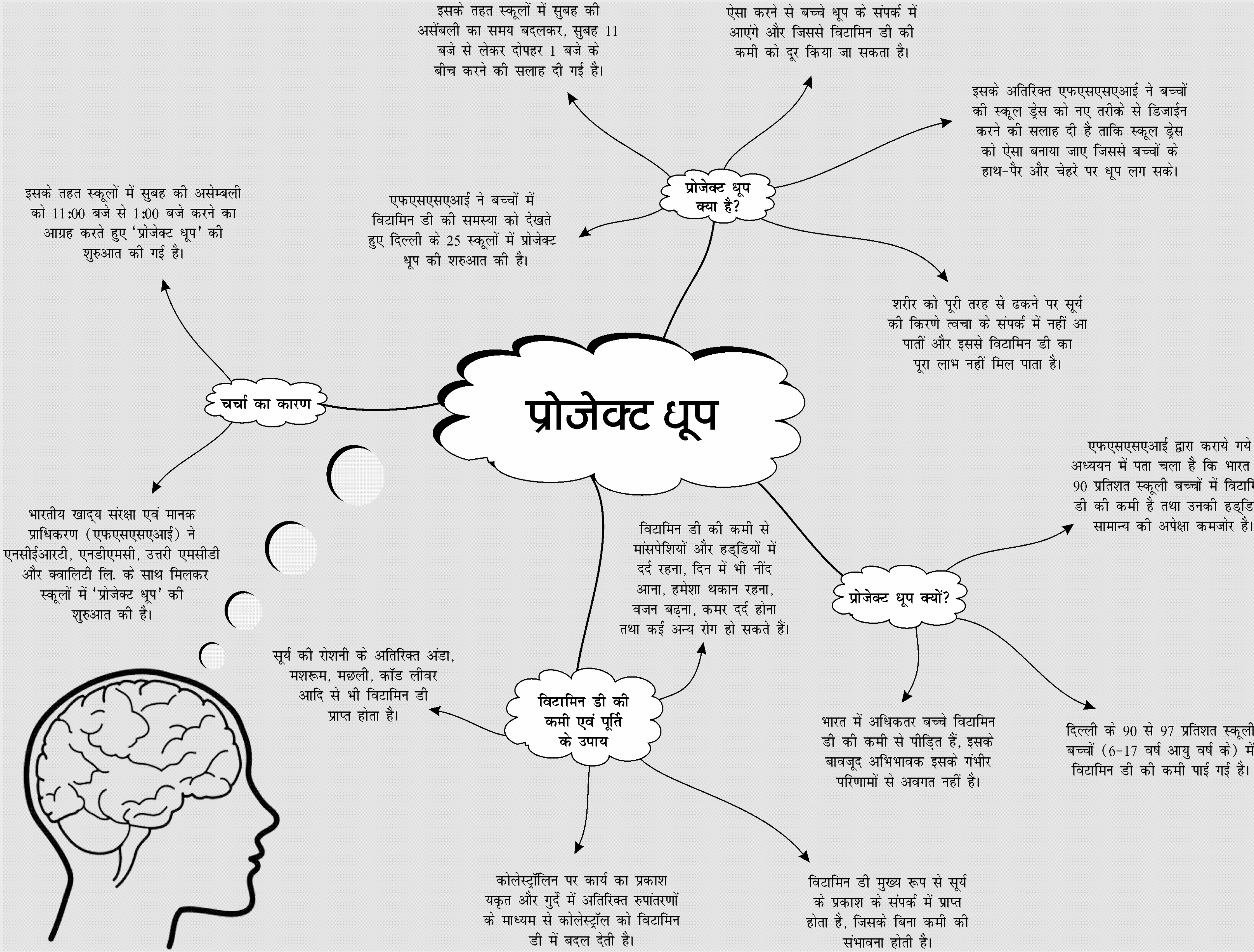
प्रोजेक्ट धूप
प्रोजेक्ट धूप क्या है?
इसके तहत स्कूलों में सुबह की असेंबली का समय बदलकर, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच करने की सलाह दी गई है।
ऐसा करने से बच्चे धूप के संपर्क में आएंगे और जिससे विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त एफएसएसएआई ने बच्चों की स्कूल ड्रेस को नए तरीके से डिजाईन करने की सलाह दी है ताकि स्कूल ड्रेस को ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चों के हाथ-पैर और चेहरे पर धूप लग सके।
एफएसएसएआई ने बच्चों में विटामिन डी की समस्या को देखते हुए दिल्ली के 25 स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शरुआत की है।
शरीर को पूरी तरह से ढकने पर सूर्य की किरणे त्वचा के संपर्क में नहीं आ पातीं और इससे विटामिन डी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
चर्चा का कारण
इसके तहत स्कूलों में सुबह की असेम्बली को 11:00 बजे से 1:00 बजे करने का आग्रह करते हुए 'प्रोजेक्ट धूप' की शुरुआत की गई है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी, उत्तरी एमसीडी और क्वालिटी लि. के साथ मिलकर स्कूलों में 'प्रोजेक्ट धूप' की शुरुआत की है।
प्रोजेक्ट धूप क्यों?
एफएसएसएआई द्वारा कराये गये अध्ययन में पता चला है कि भारत के 90 प्रतिशत स्कूली बच्चों में विटामिन डी की कमी है तथा उनकी हड्डियाँ सामान्य की अपेक्षा कमजोर है।
भारत में अधिकतर बच्चे विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं, इसके बावजूद अभिभावक इसके गंभीर परिणामों से अवगत नहीं है।
दिल्ली के 90 से 97 प्रतिशत स्कूली बच्चों (6-17 वर्ष आयु वर्ष के) में विटामिन डी की कमी पाई गई है।
विटामिन डी की कमी एवं पूर्ति के उपाय
विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द रहना, दिन में भी नींद आना, हमेशा थकान रहना, वजन बढ़ना, कमर दर्द होना तथा कई अन्य रोग हो सकते हैं।
सूर्य की रोशनी के अतिरिक्त अंडा, मशरूम, मछली, कॉड लीवर आदि से भी विटामिन डी प्राप्त होता है।
कोलेस्ट्रॉलिन पर कार्य का प्रकाश यकृत और गुर्दे में अतिरिक्त रुपांतरणों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है।
विटामिन डी मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में प्राप्त होता है, जिसके बिना कमी की संभावना होती है।

गवाहों की सुरक्षा

क्या है?

- अगर कोई भी गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-195ए के तहत केस दर्ज किया जाता है।
- इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है।
- कानूनी जानकार बताते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस व्यवस्था में गवाह सबसे अहम है। हालांकि भारत में गवाहों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं है।
- विटनेस प्रोटेक्शन से सीधा सा मतलब है गवाहों की सुरक्षा अर्थात् यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी के खिलाफ गवाही देता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश

- न्यायालय ने दिल्ली वैध सेवा अथॉरिटी के सदस्य सचिव को यह तय करने के लिए नियुक्त किया है कि क्या किसी गवाह को पुलिस संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं?
- न्यायालय ने नए दिशा निर्देशों के बारे में गवाह को सूचित करने के लिए मामले के जांच अधिकारी के लिए अनिवार्य बना दिया है।
- गवाह को बचाने के लिए सक्षम अधिकारी आरोपी से गवाह की सुरक्षा जोखिम की प्रकृति को ध्यान में रखेगा।
- अनुमति मिलने के बाद गवाह को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस आयुक्त का कर्तव्य होगा।

चर्चा का कारण

- सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार के सुझावों के बाद इस योजना को लागू भी कर दिया जाएगा।
- 13 अप्रैल 2018 को केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई है।

सुरक्षा के चार महत्वपूर्ण बिंदु

- गवाह को अपने निवास के शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित करना।
- सरकार गवाह की नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगी जो वह कर रही है/कर रहा है।
- गवाह को एक नया नाम, पहचान, राशन कार्ड तथा नया पासपोर्ट दिया जाएगा।
- सरकार गवाह के पूरे परिवार की जिम्मेदारी को स्वीकार करेगी और इसे सुरक्षा कवर प्रदान करेगी।

मुख्य तथ्य

- भारतीय दंड कानून की धारा 161 (3) के तहत पुलिस गवाह से बयान लेती है लेकिन धारा 161 (1) के तहत यह अदालत में मान्य नहीं है।
- भारत में मनुस्मृति में भी गवाहों की सुरक्षा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का जिक्र है। इस तरह की व्यवस्था मुगलकाल में जहांगीर के शासनकाल में भी थी
- भारतीय गवाह अधिनियम 1872 की धारा 151 और 152 को छोड़कर भारत में गवाह के संरक्षण को लेकर विस्तृत कानून नहीं है।

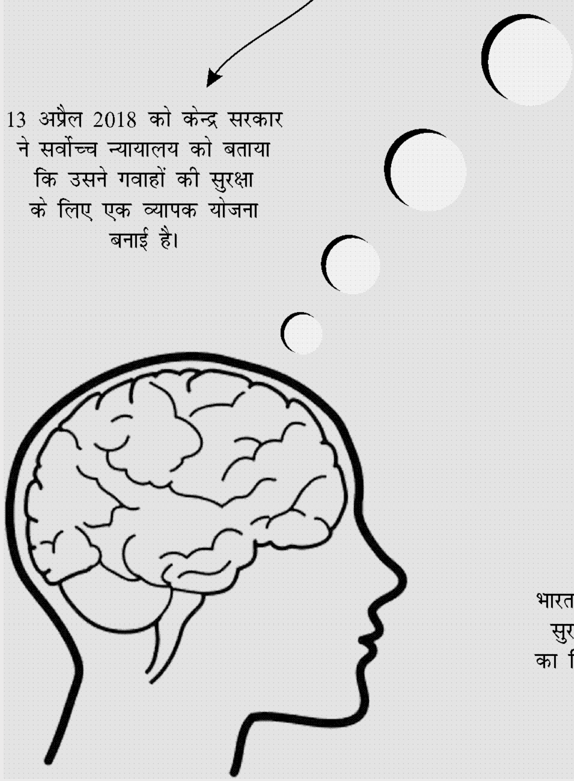

धारा 33 (7)

पृष्ठभूमि

- जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) को लेकर काफी समय से विवाद चाल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने 2014 के आम चुनाव में गुजरात के वड़ोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी दोनों स्थानों से चुनाव लड़ा था।
- इसी तरह सोनिया गांधी ने 1999 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी थीं। वह दोनों जगहों से जीती थीं। बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ दी।
- जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव न लड़ सके।
- वर्ष 2014 के आम चुनाव में मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश में दो स्थानों आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने मैनपुरी की सीट छोड़ दी।

चर्चा का कारण

- आयोग ने अपने हलफनामें में कहा कि दो जगह से चुनाव लड़ना फिर एक सीट छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है तथा इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है।
- आयोग ने यह भी कहा कि अगर दो जगहों से चुनाव लड़ने का प्रावधान मौजूद रहता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जीतने की स्थिति में जिस सीट को नेता छोड़ते हैं, वहां होने वाले उपचुनाव का खर्च स्वयं वहन करें।
- एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर समर्थन किया है।

चुनाव आयोग का रूख

- 1996 से पूर्व कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था।
- आयोग का कहना है कि विधानसभा व विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख रुपए और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख रुपयें होनी चाहिए। सरकार इसे समय-समय पर बढ़ा सकती है।
- दो सीटों पर चुनाव लड़ने से संसाधन की बर्बादी होती है क्योंकि 6 महीने के अंदर एक सीट खाली करनी होती है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में चुनाव सुधारों के लिए कई समितियाँ गठित की गईं जैसे कि-तारकुंडे समिति (1974-75), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998) तथा के संथानम समिति (1962) आदि।

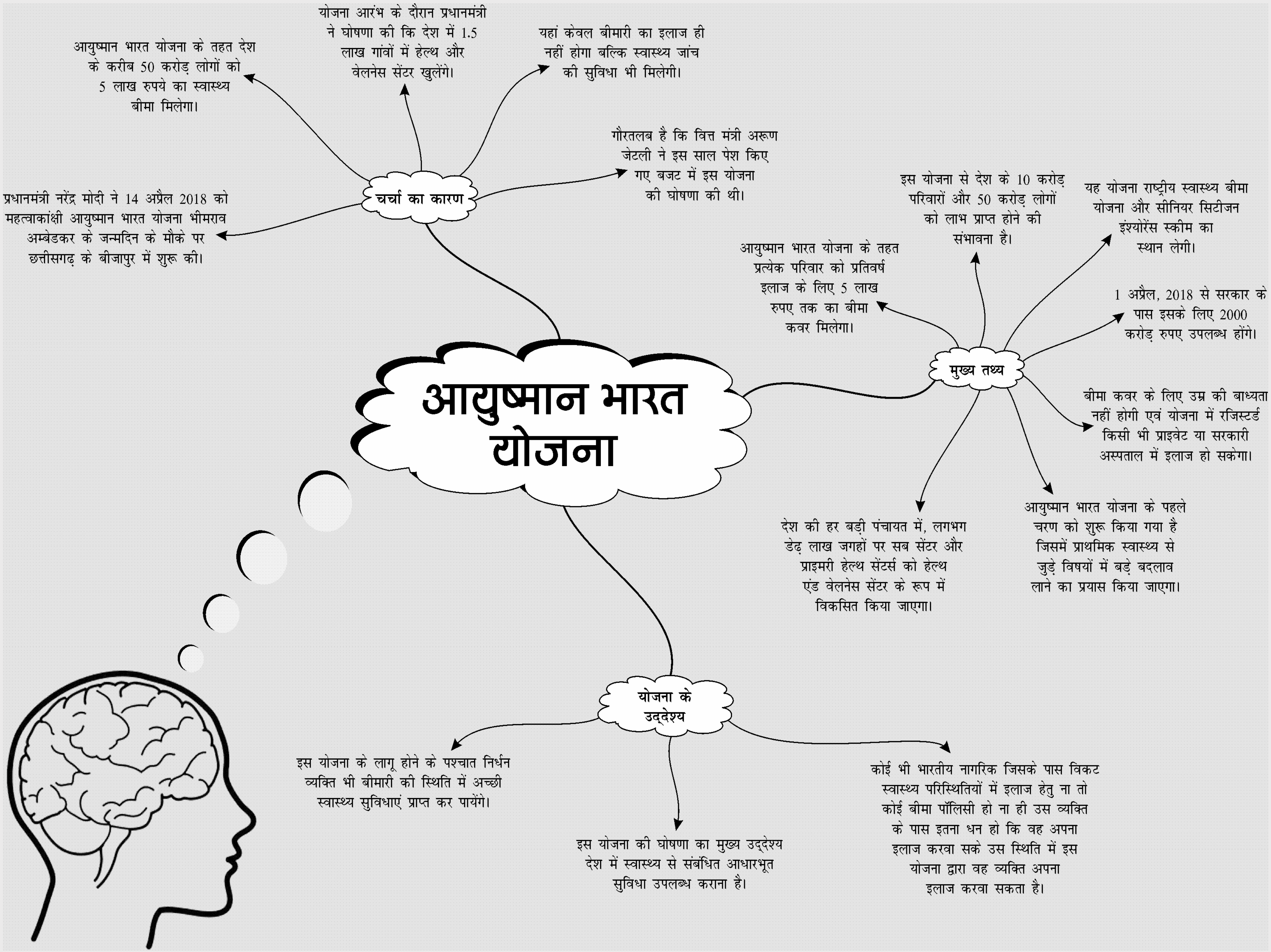
आयुष्मान भारत योजना
चर्चा का कारण
आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
योजना आरंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश में 1.5 लाख गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे।
यहां केवल बीमारी का इलाज ही नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलेगी।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू की।
मुख्य तथ्य
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा।
इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस स्कीम का स्थान लेगी।
1 अप्रैल, 2018 से सरकार के पास इसके लिए 2000 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे।
बीमा कवर के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होगी एवं योजना में रजिस्टर्ड किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकेगा।
देश की हर बड़ी पंचायत में, लगभग डेढ़ लाख जगहों पर सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण को शुरू किया गया है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा।
योजना के उद्देश्य
इस योजना के लागू होने के पश्चात निर्धन व्यक्ति भी बीमारी की स्थिति में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर पायेंगे।
इस योजना की घोषणा का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है।
कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विकट स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज हेतु ना तो कोई बीमा पॉलिसी हो ना ही उस व्यक्ति के पास इतना धन हो कि वह अपना इलाज करवा सके उस स्थिति में इस योजना द्वारा वह व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

चर्चा का कारण

- नीति आयोग ने जिन 115 संभावना वाले जिलों की पहचान की है, उनमें से 101 के आंकड़े राज्य सरकारों से मिल गए हैं इनकी पहली रैंकिंग 11 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में जारी की गई।
- नीति आयोग की मानें तो देश के 101 संभावना वाले (या पिछड़े) जिलों में भी हरियाणा का मेवात सबसे पिछड़ा है। इसके बाद क्रमशः तेलंगाना का आसिफाबाद, मध्यप्रदेश का सिंगरौली, नागालैंड का किफिरे और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती पांच सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य इन जिलों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा पैदाकर विकास के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इससे राज्य सरकारों, स्थानीय सांसदों तथा जिलाधीशों को यह पता चल सकेगा कि किन जिलों में ज्यादा काम करने की जरूरत है।

इस आधार पर हुई पहचान

- श्री अमिताभ कांत ने कहा कि हर जिले को 49 संकेतकों जैसे टीकाकरण, बीच में पढ़ाई छोड़ना, शिशु मृत्यु दर आदि पर अंक दिए गए हैं।
- हर जिले को यह पता होगा कि वे इन संकेतकों पर अपने ही राज्य तथा देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों की तुलना में कहां ठहरते हैं और किन संकेतकों पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

हर महीने जारी होगी नई लिस्ट

- अभी 101 जिलों की रैंकिंग उपलब्ध है।
- 11 अप्रैल से यह रैंकिंग ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है तथा रियल टाइम डाटा के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को नीति आयोग नई सूची जारी करेगा।
- श्री अमिताभ कांत ने बताया कि ओडिशा के 10, पश्चिम बंगाल के चार और केरल का एक जिला जल्द ही इस सूची में शामिल हो जाएगा।
- उन्होंने बताया कि आयोग एक प्राइमर बना रहा है, जिसके तहत हर जिले के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जिनमें वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सम्पूर्ण रैंकिंग में तेजी से सुधार कर सकते हैं।

प्रगति की निगरानी करेगी कमेटी

- श्री कांत ने बताया कि इन जिलों के पिछड़ेपन का कारण पैसे की कमी नहीं बल्कि प्रशासन की कमी है।
- इन जिलों के लिए केंन्द्र सरकार के स्तर पर 115 प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं जो अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के होंगे।
- साथ ही सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति प्रगति की निगरानी करेगी जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- राज्यों के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- जिलों की प्रगति के पैमाने में शिक्षा एवं पोषण के लिए 30 अंक, शिक्षा के लिए 30 अंक तथा कृषि एवं जल संसाधन के लिए 20 अंक एवं शेष 20 अंक वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत ढांचों के लिए है।

विकास की देखरेख का काम करेगा गृह मंत्रालय

- कुल 101 जिलों में 33 नक्सल प्रभावित हैं, साथ ही ओडिशा के सूची में शामिल होने वाले जिलों में भी दो नक्सल प्रभावित है।
- इनके विकास की देखरेख का काम गृह मंत्रालय करेगा
- नीति आयोग को 25 जिलों और केंद्रीय मंत्रालयों को 43 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है।
- इन पिछड़े जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाले पांच में आंध्रप्रदेश के विजयनगरम, छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, आंध्र प्रदेश के कडप्पा और तमिलनाडु के रामनाथपुरम को रखा गया है।

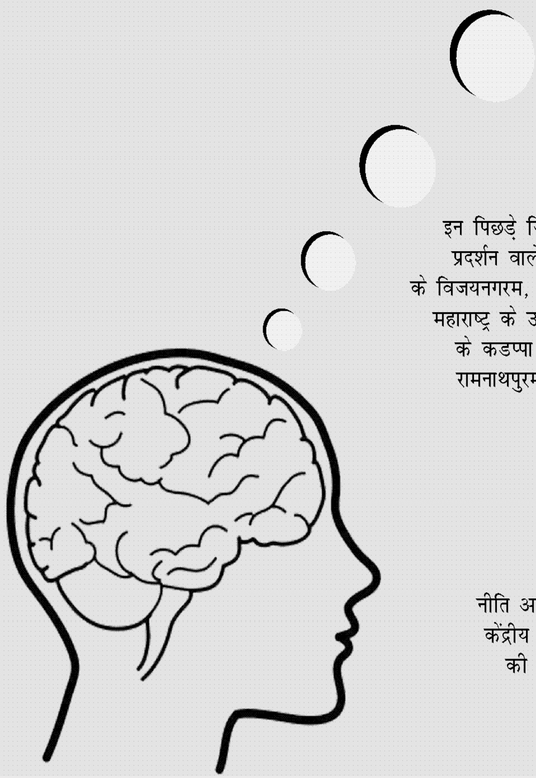

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. आईआरएनएसएस-1 आई

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. IRNSS-1I भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नौवाँ उपग्रह है।
2. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट लांच पैड से PSLV की यह 35वीं उड़ान थी।
3. IRNSS-1I लगभग 10 वर्षो तक स्थिति, नेविगेशन और समय के निर्धारण के लिए संकेत संचालित करेगा।
4. IRNSS-1I का वजन 1425 किलोग्राम है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 1 व 3

(c) केवल 1, 3 व 4

(d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 12 अप्रैल 2018 को अपने अंतरिक्ष केंद्र से PSLV.C-41 प्रक्षेपण यान द्वारा IRNSS-1I उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट लांच पैड से PSLV की यह 32वीं उड़ान थी। अत: दिया गया कथन (2) गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

2. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक-2018

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?

(a) अमेरिकी थिंक टैंक 'द हेरिटेज फाउंडेशन' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता की सूची में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है।

(b) 180 देशों की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद जारी सूची में भारत 54.5 अंकों के साथ 133वें पायदान पर है।

(c) 2017 में भारत की रैंक 143 थी तब उसे कुल 52.6 अंक मिले थे।

(d) आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश हांगकांग है जबकि सबसे कम स्वतंत्र देश उत्तर कोरिया है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: 'द हेरिटेज फाउंडेशन' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता की सूची में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। 180 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 54.5 अंकों के साथ 130वाँ स्थान मिला है। इस तरह कथन 2 गलत है। इसलिए उत्तर (b) होगा।

3. प्रोजेक्ट धूप

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बच्चों में विटामिन डी की समस्या को देखते हुए दिल्ली के 25 स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरूआत की।
2. एफएसएसएआई ने बच्चों की स्कूल ड्रेस को नए तरीके से डिजाईन करने की सलाह दी है ताकि बच्चों के हाँथ, पैर और चेहरे पर धूप लग सके।
3. एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत के 90% स्कूली बच्चों में विटामिन डी की कमी है तथा उनकी हड्डियाँ सामान्य की अपेक्षा कमजोर हैं।
4. विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द रहना, दिन में भी नींद आना, हमेशा थकान रहना, वजन बढ़ना, कमर में दर्द होना आदि समस्या हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3

(b) केवल 3 व 4

(c) केवल 1, 2 व 3

(d) सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: एफएसएसएआई ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी, उत्तरी एमसीडी और क्वालिटी लिमिटेड के साथ मिलकर स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरूआत की है। इसके तहत स्कूलों में सुबह की असेम्बली को 11:00 बजे से 1:00 बजे करने का आग्रह किया गया है। 'प्रोजेक्ट धूप' के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. गवाहों की सुरक्षा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. विटनेस प्रोटेक्शन से सीधा सा मतलब है गवाहों की सुरक्षा, अर्थात् यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी के खिलाफ गवाही देता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होगी।
2. यदि कोई व्यक्ति गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-195ए के तहत केस दर्ज किया जाता है।
3. भारतीय गवाह अधिनियम 1872 की धारा 151 और 152 को छोड़कर भारत में गवाह के संरक्षण के लिए विस्तृत कानून नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 1, 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः 13 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार के सुझावों के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के संबंध में दिए गए सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (c) होगा।

5. धारा 33 (7)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. जुलाई 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से कानून की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव न लड़ सके।
2. धारा 33(7) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति दो सीटों से आम चुनाव अथवा उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 व 2 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक का चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामें का समर्थन किया है। वर्ष 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी। अतः कथन 1 गलत है। धारा 33(7) में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति दो सीटों से आम चुनाव अथवा उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव लड़ सकता है। इस तरह कथन 2 भी गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

6. आयुष्मान भारत योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है?

(a) आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।

(b) बीमा कवर के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होगी एवं योजना में रजिस्टर्ड किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकेगा।

(c) इस योजना से देश के 20 करोड़ परिवारों और 1 अरब लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

(d) यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस स्कीम की स्थान लेगी।

उत्तरः (c)

व्याख्याः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुरू की। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इस तरह कथन (c) गलत है अतः उत्तर (c) होगा।

7. अकांक्षी जिला कार्यक्रम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. नीति आयोग के अनुसार देश के 101 संभावना वाले (या पिछड़े) जिलों में हरियाणा का मेवात सबसे पिछड़ा है।
2. मेवात जिले के बाद क्रमशः तेलंगाना का आसिफाबाद, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, नागालैण्ड का किफिरे और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती पांच सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं।
3. नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि हर जिले को 49 संकेतकों जैसे टीकाकरण, बीच में पढ़ाई छोड़ना, शिशु मृत्यु दर आदि पर अंक दिए गए हैं।
4. जिलों की प्रगति के पैमाने में शिक्षा एवं पोषण के लिए 30 अंक तथा कृषि एवं जल संसाधन के लिए 20 अंक दिए गए हैं एवं शेष 20 अंक वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत ढांचों के लिए है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 4 (b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 2, 3 व 4 (d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः हरियाणा भले ही विकास के लाख दावे करे, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के सबसे करीब होने के बावजूद उसका मेवात क्षेत्र आज भी देश के पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ा है। नीति आयोग ने जिन 115 संभावना वाले जिलों की पहचान की है, उनमें से 101 के आंकड़े राज्य सरकारों से मिल गए और इनकी रैंकिंग 11 अप्रैल को जारी की गई है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है?

- 133वें

2. हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- विद्या देवी भंडारी

3. हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?

- मॉरीशस की राष्ट्रति अमीना गुरीब फकीम

4. हाल ही में किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया है?

- भारत में निर्मित फ्रिगेट, आईएनएस गंगा

5. भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी?

- 1982

6. "सी-17 ग्लोबमास्टर" क्या है?

- मालवाहक जहाज

7. "किन्झल" क्या है?

- हाइपरसोनिक मिसाइल

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. शारीरिक उपवास के साथ-साथ मन का उपवास न हो तो वह दम्भपूर्ण और हानिकारक हो सकता है।

- महात्मा गाँधी

2. हम सभी के पास बराबर की योगयता नहीं है पर हम सभी के पास अपनी योगयता को लेने के बराबर के अवसर हैं।

- अब्दुल कलाम

3. दिन में एक बार अपने आप से बात करो वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे।

- स्वामी विवेकानंद

4. जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं।

- जवाहर लाल नेहरू

5. कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।

- अब्राहम लिंकन

6. व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी लौ है, जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती।

- नेल्सन मंडेला

7. मुझमे जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी,परन्तु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृति मुझमे कभी नहीं रही।

- सुभाष चन्द्र बोस

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से क्या तात्पर्य है? एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इनका क्या महत्व है? उल्लेख करें।

2. "जीएसटी भारत के कारोबार को बदल देगा" इस कथन का विश्लेषण करें।

3. विघटनकारी प्रौद्योगिकी (Disruptive Technology) से क्या तात्पर्य है? भारतीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विघटनकारी प्रौद्योगिकी के 'उपयोग के दायरे' पर चर्चा करें।

4. कृषकों की आय दोगुनी करने के सरकार के प्रयासों को साकार करने में बागवानी क्षेत्र किस प्रकार सहायक हो सकता है? टिप्पणी करें।

5. प्रधानमंत्री का "सत्याग्रह से स्वाच्छाग्रह" का नारा देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में किस तरह से सहायक होगा? व्याख्या करें।

6. क्रिप्टो करेंसीज न सिर्फ अधिक ऊर्जा की खपत करती है बल्कि निवेश को नियंत्रित करती है, इस परिप्रेक्ष्य में विश्व पर क्रिप्टो करेंसीज के पड़ने वाले प्रभावों का विवरण दें।

7. सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास के बाद भी देश में महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार कम होने की बजाय बढ़ रहा है। क्या सिर्फ सरकारी प्रयास ही इस समस्या का समाधान है अथवा लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा? इस पर अपना विचार व्यक्त करें।